भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 266

अधिवक्ता अधिनियम, 1961
(विधिक वृत्ति का विनियमन)

मार्च, 2017

z

डा. न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान
पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभा-ष : 23736758, फैक्स 23355741

Dr. Justice B. S. Chauhan
Former Judge, Supreme Court of India
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110001
Tel. 23736758, Fax 233557741

D.No. 6(3)292/2016-LC(LS)

17th October, 2016

श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

महीपाल सिंह राणा बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (ए.आई.आर. 2016 एस. सी. 3302) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता द्वारा एक सिविल न्यायाधीश (ज्ये-ठ प्रभाग) को अभित्रस्त करने और धमकी देने के आपराधिक अवमान के मामले में अपील की सुनवाई करते हुए अधिवक्ताओं को शासित करने वाली असंतो-नजनक विनियामक क्रियाविधि पर चिंता व्यक्त की और यह मत व्यक्त किया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों, विशि-ट रूप से विधिक वृत्ति और अन्य समरूप मुद्दों से संबंधित विनियामक क्रियाविधि का, सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके पुनर्विलोकन करने की तुरंत आवश्यकता है । तद्नुसार, यह वि-नय भारत के विधि आयोग को निर्दि-ट किया गया और विधिक वृत्ति के विनियमन से संबंधित सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया ।

2. विधि आयोग ने सभी पणधारियों से विचाराधीन मुद्दे पर उनके यह सुझाव आमंत्रित किए कि कैसे इस व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है । विधि आयोग ने, विशि-ट रूप से, भारतीय विधिज्ञ परि-द से, जो कि अधिक्रम में अधिवक्ता अधिनियम के अधीन सर्वोच्च निकाय है, अधिवक्ता अधिनियम के पुनर्विलोकन पर अपने विचार/सुझाव भेजने का अनुरोध किया । सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल, राज्य विधिज्ञ परि-दों, उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और उच्चतम न्यायालय एडवोकेट आन रिकार्ड एसोसिएशन से विचाराधीन वि-नयवस्तु पर अपने सुझाव भेजने का

निवास/Residence 7ए, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110001/7-A, Moti Lal Nehru Marg, N.D.-1

z

अनुरोध किया ।

3. भारतीय विधिज्ञ परि-द् ने तारीख 10 मार्च, 2017 को अधिवक्ता अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत सिफारिशें की और आयोग के विचार के लिए तुलनात्मक सारणी में एक प्रारूप विधेयक भी प्रस्तुत किया । भारतीय विधिज्ञ परि-द् का यह मत था कि विनियामक क्रियाविधि के अतिरिक्त, अन्य अंतर-संबंधित मुद्दे अर्थात् भारतीय विधिज्ञ परि-द् और राज्य विधिज्ञ परि-दों के गठन पर भी पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है ।

4. बड़ी संख्या में पणधारियों ने यह सुझाव दिया कि भारतीय विधिज्ञ परि-द् तथा राज्य विधिज्ञ परि-दों में सदस्यों के रूप में कुछ गैर-अधिवक्ता सदस्य होने चाहिएं, जैसी कि अन्य पेशेवर निकायों में उपबंध है । भारतीय चिकित्सा परि-द्, चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान परि-द् और वास्तुविद् परि-द् में गैर-पेशेवरों द्वारा प्रतिनिधित्व का उपबंध है । इसलिए आयोग ने विधिज्ञ परि-दों के लिए इस धारणा को एक सीमित सीमा में स्वीकार किया है ।

5. अधिवक्ता अधिनियम का पुनर्विलोकन करते समय विधि आयोग ने यह महसूस किया कि अधिवक्ताओं के आचरण से, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, न्यायालयों के कार्य पर प्रभाव पड़ता है और तद्द्वारा मामलों के लंबित रहने में योगदान है । आयोग ने यह महसूस किया कि न्यायालय में अधिवक्ताओं के उस आचरण को विनियमित करने के लिए कुछ उपबंधों का होना आवश्यक है जिससे न्यायालय के कार्य के साथ-साथ व्यथित पक्षकारों की प्रत्याशाओं पर भी समान रूप से प्रभाव पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, सभी उच्च न्यायालयों को उनके मुख्य न्यायाधीशों के माध्यम से पिछले पांच व-र्नों के दौरान उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं में हड़तालों के आह्वान के कारण हुई कार्य-दिवसों की हानि पर डाटा भेजने का अनुरोध किया गया । आयोग अपने अनुरोध के अनुसरण में प्राप्त हुए उत्तरों का परिशीलन करने के पश्चात् स्तब्ध था, क्योंकि यह पाया गया कि देश में सर्वत्र अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़तालों की मात्रा थोड़े फेरफार के साथ अनियंत्रित रही हैं । आयोग ने देश के सभी पणधारियों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श किया है और इसलिए इस नि-क-र्ा पर पहुंचा है कि अधिवक्ता अधिनियम में सुधार करने की प्रस्थापना करना आवश्यक हो गया है ।

z

6. अतः, आयोग यह सिफारिश करता है कि अधिवक्ता अधिनियम में, न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को अपितु ऐसी अन्य आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए जो विधि वृत्ति के बेहतर प्रबंधन और विनियमन के लिए भवि-य में उद्भूत हो सकती हैं, व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए । **अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (विधिक वृत्ति का विनियमन)** शी-र्क के अधीन एक रिपोर्ट सरकार के विचार के लिए नीचे रखी जाती है । विधिक वृत्ति में सुधार को अग्रनीत करने की पहल को सुकर बनाने की दृ-टि से विधि आयोग ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2017 तैयार किया है जो इस रिपोर्ट के उपाबंध 3 पर है ।

7. आयोग इस परियोजना पर काम करते समय परामर्शी सुश्री साक्षी विजय, श्री अरिजीत घो-ा और श्री ललित पांडा द्वारा की गई सराहनीय सहायता को संज्ञापित करता है ।

शुभ कामनाओं सहित,

आपका,

हस्ता/

(डा. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान)

श्री रवि शंकर प्रसाद,
विधि और न्याय मंत्री,
शास्त्री भवन,
नयी दिल्ली-110115.

z

रिपोर्ट सं. 266

अधिवक्ता अधिनियम, 1961-विधिक वृत्ति का विनियमन

अंतर्वस्तुओं की सारणी

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1	विधिक वृत्ति का आरंभ-पृष्ठभूमि	7-8
2	संविधान का आगमन	9-10
3	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का युग	11
4	विपथन काल	12-13
5	न्यायिक निर्णय और विधि	14-15
6	विधि आयोग की पहल	16-17
7	न्यायालयों के कार्यदिवसों की हानि-एक आश्चर्यजनक तथ्य	18-19
8	हड़ताल पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय-निंदनीय कृत्य	20-28
9	अधिवक्ताओं के अवमानकारी कृत्यों की भर्त्सना	29-34
10	सिद्धदो-ा व्यक्तियों द्वारा लोक कृत्य करने का	35-37

z

	औचित्य	
11	छायाभास के घेरे में वकालत	38
12	भारत में विधि शिक्षा	39-44
क	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	39-40
ख	सांविधिक ढांचा	40-41
ग	पूर्ववर्ती विधि आयोगों की रिपोर्टें	41-42
घ	विधिक स्थिति	42-43
ड.	नि-कर्ष	43-44
13	अधिवक्ताओं का नामांकन-पूर्व प्रशिक्षण	45
14	भारत में विदेशी विधि फर्मों और वकीलों की संभाव्यता	46-50
15	अवचार को परिभाषित करने की आवश्यकता	51-53
16	यूनाइटेड किंगडम में विधिक वृत्ति के विनियमन के ढांचे की सुसंगतता	54-57
17	विनियामक क्रियाविधि के पुनर्विलोकन की आवश्यकता	58-62
उपांबध		
1	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन	63-101
2	भारत के विधि आयोग को प्राप्त हुए उत्तरों का	102-

z

	विश्ले-ाण	105
3	अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2017	106-128

z

अध्याय-1

विधिक वृति का प्रारंभ - पृ-ठभूमि

1.1 हमारे देश मे विधिक वृति का प्रारंभ इंडियन हाई कोर्ट ऐक्ट, 1861 (सामान्य तौर पर चार्टर ऐक्ट के रूप में ज्ञात) में देखा जा सकता है, जिसमें लेटर्स पेटेंट के अधीन उच्च न्यायालयों की स्थापना को प्राधिकृत किया गया और उन लेटर्स पेटेंट में उच्च न्यायालयों को अधिवक्ताओं और अटर्नियों, जो सालिसिटर के रूप में भी जाने जाते थे, के नामांकन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया था । प्रारंभिक काल में, विधि व्यवसाय से संबधित तीन अधिनियम अर्थात् लीगल प्रेक्टिसनर्स ऐक्ट, 1879 (1879 का 18), दि बम्बे प्लीडर्स ऐक्ट, 1920 (1920 का 17) और इंडियन बार कौंसिल ऐक्ट, 1926 (1926 का 38) अधिनियमित किए गए थे । न्यायिक प्रशासन में उन व्यक्तियों की सहायता से न्याय करते समय, जो मुकदमा लड़ने वाले का पक्षकथन प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सके, विधिक वृत्ति के महत्व की रुपरेखा विधि का शासन लाने में अग्रणी के रूप में तैयार की गई । विधिक वृत्ति को एक उदार वृत्ति के रूप में जाना जाता था क्योंकि इसने एक ऐसी व्यवस्था की ठोस नींव रखने में योगदान और सहयोग दिया जो ऋजु और नि-कक्ष न्याय करती हो । सामान्य व्यक्ति की न्याय प्राप्त करने की इच्छा को उन व्यक्तियों के माध्यम से उनका पक्षकथन प्रस्तुत करने और उसका निवारण करने, जिन पर भरोसा हो, का उपबंध करके ध्यान में रखा गया ।

1.2 प्रख्यात विधिवेता, रोस्को पाउंड का यह मत था कि "ऐतिहासिक रूप से, किसी वृत्ति में तीन विचार अंतर्वलित होते हैं: संगठन, शिक्षण और लोक सेवा की भावना ।"[1] उसने इन तत्वों को आवश्यक मानते हुए यह मत व्यक्त किया कि वृत्ति के माध्यम से आजीविका कमाने का विचार एक आनु-ंगिक तत्व से अधिक कुछ नहीं है । तथापि, वृत्ति की बाबत तीनों तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व लोक सेवा की भावना है । यूरोपियन संघ के निर्देश में पेशेवरों के नीतिपरक अनुतापों को भी समान रूप से उदाहरण देकर समझाया गया है, जिसमें उदार वृत्तियों को उन

[1] रोस्को पाउंड, वट इज ए प्रोफेशन । दि राइज आफ लीगल प्रोफेशन इन एंटिक्यूटि, 19नाटरे डेम एल रिव. 203 (1944) पृ-ठ 204 पर ।

z

वृत्तियों के रूप में वर्णित किया गया है "जिनका व्यवसाय मुवक्किल और जनसाधारण के हित में सुसंगत वृत्तिक अर्हताओं के आधार पर बौद्धिक और संकल्पनात्मक सेवाएं मुहैया कराकर व्यैक्तिक, उत्तरदायी और वृत्तिक रूप से स्वतंत्र क्षमता में किया जाता है"[2] (बल दिया गया है) ।

1.3 इस पृ-ठभूमि में, हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक संघीय शासकीय व्यवस्था अपनाकर न्यायपालिका को नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की संरक्षा करते हुए सरकार के अन्य अंगों के कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया । इसमें अंतर्वि-ट अनुसार, विधि के शासन के अनुरूप और न्याय करने के स्वीकृत उद्देश्य के साथ विभिन्न सोपानों पर न्यायालयों के गठन की आदर्श व्यवस्था के साथ-साथ विधिक वृत्ति में अधिवक्ताओं की व्यवस्था है जिन्हें संविधान के अधीन विधि व्यवसाय करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है जो अब अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिवक्ता अधिनियम कहा गया है) में सन्निवि-ट है ।

[2] यूरोपियन संसद् और वृत्तिक अर्हताओं की मान्यता परि-द् का निर्देश 2005/36/ईसी (7 सितम्बर, 2005).

z

अध्याय-2

संविधान का आगमन

2.1 हमारी न्यायिक व्यवस्था, उसके गठन और अधिकारिताओं सहित, संविधान में प्रति-ठापित है और उसे न्याय करने की शक्ति के साथ-साथ स्वयं अपने नियम बनाने की शक्ति भी है । उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है और उसे सभी शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जिसके अंतर्गत अपने अवमान के लिए संविधान के अनुच्छेद 129 के अधीन दंडित करने की शक्ति भी है । संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन उच्चतम न्यायालय को, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रा-ट्रपति के अनुमोदन से, नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है । अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (क) में उच्चतम न्यायालय को उन व्यक्तियों के संबंध में नियम बनाने के लिए विनिर्दि-ट रूप से सशक्त किया गया है, जो उसके समक्ष विधि व्यवसाय कर सकता है ।

2.2 उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई शक्तियों में विभेद है । संविधान में उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदत्त करते हुए उसके समक्ष विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का, इसमें ऊपर निर्दि-ट अनुसार उच्चतम न्यायालय की तुलना में, उपबंध नहीं किया गया है । उच्च न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के अधिकार से संबंधित विधि अधिनियमित करने की शक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविन्टि 78 के अधीन संसद् में ही प्रतिधारित की गई है । तथापि, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन अपने अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदत्त की गई है । यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उस आपराधिक अवमान की कार्यवाहियों के संबंध में शक्ति प्रदत्त की गई है जो अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अपने वृत्तिक अवचार के संबंध में किए गए भंग की दशा में दंडादेश देने तक विस्तारित है । तथापि, अवमान के संबंध में विधि विरचित करने और इसके लिए उपबंध करने की शक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-3 की प्रविन्टि 14 के अधीन संसद् और राज्य विधानमंडलों को उपलब्ध है ।

z

2.3 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति भी सूची-3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 11-क में है । जब कभी पूर्वोक्त शब्दावली को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है तो इसके दायरे में अधिवक्ताओं की न्याय प्रशासन में भूमिका भी आती है । सूची-3 की प्रविष्टि 13 संसद् तथा राज्य विधानमंडलों को प्रक्रिया संबंधी नियम विरचित करने के लिए सशक्त करती है । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 3 के नियम 1 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 303 में मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं और प्लीडरों के माध्यम से मुकदमेबाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यापक उपबंध किए गए हैं । इस प्रकार, न्यायिक कार्यवाहियों में अधिवक्ता के भाग लेने की प्रास्थिति को कानून में उपबंधित किया गया है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों और ऐसे अन्य निकायों, जो उनके नियंत्रणाधीन हैं, की ओर से पैनलित वकीलों के रूप में अधिवक्ताओं को मुकर्रर करने को शासित करने वाले नियमों का एक अलग संवर्ग है । अतः, न्याय करने की व्यवस्था के भाग के रूप में अधिवक्ताओं की मौजूदगी हमारी विधियों में समाहित है । इस बात को दृष्टिगत करते हुए, संविधान में अनुसूची 7 की सूची-3 में प्रविष्टि 26 संसद् और राज्य विधानमंडलों को विधिक वृत्ति के संबंध में भी विधियां विरचित करने के लिए सशक्त करते हुए सम्मिलित की गई है ।

z

अध्याय-3

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का युग

3.1 समय बीतने के साथ-साथ यह महसूस किया गया कि न्यायिक व्यवस्था में समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए । प्रथम विधि आयोग ने इसकी परीक्षा की और न्यायिक प्रशासन में सुधार पर एक रिपोर्ट दी । अखिल भारतीय विधिज्ञ समिति ने भी इस वि-नय की परीक्षा की और व-र्ा 1953 में अपनी सिफारिशें की । विधि आयोग द्वारा अपनी 14वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों, जहां तक उनका संबंध विधिज्ञ और विधि शिक्षा से था, पर विचार करने के पश्चात् अखिल भारतीय विधिज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम अधिनियम किया गया ।

3.2 अधिवक्ता अधिनियम अधिवक्ताओं द्वारा किए जाने वाले विधि व्यवसाय और विधिक वृत्ति की व्यवस्था के विनियमन से संबंधित विधि को समामेलित, संहिताबद्ध और समेकित करता है । यह विनियामक विधि, भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् और राज्य विधिज्ञ परि-ादों सहित, इसके अधीन गठित विभिन्न निकायों के साथ अर्ध शताब्दी से अधिक समय से विधि व्यवसाय को नियंत्रित कर रही है और पूर्व में इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं ।

3.3 हमारी न्यायिक व्यवस्था की प्रभावकारिता और जनसमूह के बीच बढ़ती विधिक जागरूकता के कारण देश में सर्वत्र अधिवक्ताओं के नामांकन में, उसकी तुलना में जो स्वतंत्रता-पूर्व काल में विद्यमान थे, समवर्ती वृद्धि दिखाई पड़ती है । विधि व्यवसाय अब अत्यधिक मांग वाली वृत्तियों में से एक बन गया है और किसी भी प्रकार से दोयम दर्जे की वृत्ति नहीं रह गई है । हमारी बहु-आयामी विधिक व्यवस्था में मुकदमों की प्रकृति और साथ-ही-साथ विधियों की विविधता तथा निवारण क्रिया-विधि ने सामाजिक-आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिवक्ताओं की सहभागिता को बढ़ा दिया है । अधिवक्ता अब न्यायालयों, अधिकरणों, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों और प्रशासनिक प्राधिकरणों सहित सभी स्तरों पर हमारी न्यायिक व्यवस्था का अपरिहार्य अंग बन गए हैं

z

अध्याय-4

विपथन काल

4.1 विधिक वृत्ति में नई-नई संभावनाओं के आगमन से वृत्तिता में कमी की अंतर्निहित समस्याएं, नैतिक पतन और नि-ठा की कमी इसके साथ-साथ आईं । एक उन्नतशील समाज में वृत्तिता के बीच सामाजिक, राजैनतिक और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित अंतर-प्रतिद्वन्द्विता और भौतिकवादी दृ-टिकोण के साथ प्रतिस्पर्धा ने विधिक वृत्ति को उस स्थिति में पहुंचा दिया जो इससे पहले कभी नहीं थी । पूर्व में अधिवक्ता बिरादरी सभी सामाजिक मोर्चों पर सक्रिय रूप से सहभागीदार रहती थी किंतु यह आयाम अब बहु-रूपी बन गया है । अतः सभी प्रकार के कार्यों में सहभागिता के इस व्यापक दृ-टिकोण की मांग है कि इस विधि व्यवसाय के मूलभूत लोकाचार को संरक्षित करने के लिए नैतिक और नीतिपरक मूल्यों के अनुपालन हेतु और अधिक उत्तरदायित्व और आबद्धताओं की आवश्यकता है ।

4.2 हाल ही के व-र्षों में अधिवक्ताओं की भूमिका, विशि-ट रूप से न्यायालयों के माध्यम से न्याय करने में, कड़ी आलोचना के घेरे में आई है और जनसाधारण द्वारा इसे आंख के कांटे के रूप में देखा जा रहा है । तारीख 9 मार्च, 2009 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार कालम, जिसका शी-र्क 'लॉज फार लायर्स' था, में अधिवक्ताओं और वकीलों के आचरण में आई गिरावट को देखने के पश्चात्, जो गैर-पेशेवर और अनेक अवसरों पर असुविधाजनक था, लड़खड़ाते विनायमक ढांचे के बारे में लिखा गया था । विशि-टतया, इसमें उन वकीलों के बारे में उल्लेख किया गया जो हड़तालों और बहि-कारों को आश्रय लेते हैं और यह मुकदमा लड़ने वालों के लिए अहितकर है । इस समाचार कालम में श्री कृ-ण आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को निर्दि-ट किया गया जिसमें उस हिसंक घटना का उल्लेख है जो मद्रास उच्च न्यायालय में घटित हुई थी । इस समाचार कालम में विदेशों में अपनाए जाने वाले विनियमों को भी उद्धृत किया गया, विशि-ट रूप से यूनाइटेड किंगडम में इस अभिव्यक्त प्रयोजन के साथ लीगल सर्विस ऐक्ट, 2007 पारित किया गया कि वकीलों के

z

अवचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड गठित किया जाए । इसमें अन्य प्रजातांत्रिक देशों, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, में प्रचलित व्यवस्थाओं को भी निर्दि-ट किया गया । इस कालम के नि-कर्-ा में यह कहा गया कि अब भारत में विधिज्ञ परि-ादों में सुधार करने और अधिवक्ताओं के वृत्तिक आचरण को विनियमित करने वाली विधियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है ।

4.3 पूर्व में घटित कई सारी अप्रिय घटनाओं की, उनमें से कुछ आकस्मिक तथा अधिकांश संगठित थी, समाज द्वारा कड़ी आलोचना की गई और विधि व्यवसाय के सदस्यों को उनके व्यवहार और अवचार के कारण अब उन्हें संदेह की दृ-टि से देखा जा रहा है । न्यायालयों में अधिवक्ताओं का आचरण, मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार और उनके गैर-पेशेवर आचरण के साथ-साथ असंगत मुद्दों के विरोध स्वरूप प्रायः हड़ताल पर चले जाने का कृत्य आश्चर्यजनक परिमाण पर पहुंच गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि मुकदमा लड़ने वालों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अवसर की कमी हुई और इसके साथ-साथ न्यायालयों में और न्यायालयों के बाहर विभिन्न रूपों में और अधिक हिसंक घटनाओं का सूत्रपात हुआ । इस वजह से कार्यरत अधिवक्ताओं को भी कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह ऐसा तथ्य है जिसकी न्यायालयों ने अपने न्यायिक निर्णयों में अवेक्षा की है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों में बार-बार हड़तालों और बहि-कारों को अवैध घोि-त करने के बावजूद ये हिंसा और अवचार के दृ-टांतो के साथ बेरोक जारी रही हैं । अनेक दृ-टांतों में, इस मुद्दे पर न्यायालयों में वकीलों को विधि व्यवसाय करने तक के लिए विवर्जित करने सहित कठोर दंड देते हुए विचार किया गया है ।

z

अध्याय-5

न्यायिक निर्णय और विधि

5.1 के. के. झा "कमल" और एक अन्य बनाम पंकज कुमार और एक अन्य[3] वाले मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय, साधना उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[4] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय और महीपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[5] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही का निर्णय वकीलों के वृत्तिक अवचार के सूचक हैं, जिनके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा अंततोगत्वा निदेश जारी करते हुए भारत के विधि आयोग को विधिक वृत्ति के विनियमन संबंधी सभी सुसंगत पहलुओं पर सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके शीघ्रतापूर्वक विचार करने के लिए कहा गया । न्यायालय ने संसद् से भी ऐसी विधि के अधिनियमन पर विचार करने के लिए अनुरोध किया, जो प्रभावी विनियमन के लिए प्राधिकारियों को प्रभावी रूप से सशक्त करती हो ।

5.2 अधिवक्ता अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी उपयोजन और कार्यकरण पर, विशि-ट रूप से अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के विनियमन की बाबत, न्यायालयों द्वारा मताभिव्यक्तियां और टिका-टिप्पणियां की जाती रही हैं । महीपाल सिंह राणा[6] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उस मामले में अपीलार्थी को एक सिविल न्यायाधीश (ज्ये-ठ प्रभाग) को अभित्रस्त करने ओर धमकी देने के लिए आपराधिक अवचार का दो-ी पाया गया था । उसे जुर्माने सहित लघु अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया था और न्यायालय परिसरों में प्रवेश करने से भी अवरुद्ध किया गया था तथा उत्तर प्रदेश में एटा के जिला न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए विवर्जित किया गया था । उसने उच्चतम न्यायालय

[3] ए. आई. आर. 2007 झारखंड 67.

[4] 2009 (4) एडीजे 434.

[5] ए. आई. 2016 एस. सी. 3302.

[6] पूर्वोक्त

z

के समक्ष अपील फाइल की और न्यायालय ने इस बात पर विचार करते हुए कि इसमें एक महत्वपूर्ण विधि विवाद्यक अंतर्वलित है, इसे बृहत्तर न्यायपीठ को निर्दि-ट कर दिया ।

5.3 उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को यह मत व्यक्त करते हुए कायम रखा कि उच्चतर न्यायालयों को अधिवक्ता के न्यायालय में उपसंजात होने के अधिकार को विनियमित करने की पर्यवेक्षणात्मक शक्ति है और यहां तक कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन विरचित किसी नियम के अभाव में भी न्यायालय किसी अधिवक्ता को एक विनिर्दि-ट समयावधि के लिए न्यायालय में उपसंजात होने के लिए निर्बंधित कर सकता है । न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24क को दृ-टिगत करते हुए एक सिद्धदो-ा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण लोक कृत्यों का निर्वहन करना अवांछनीय है और उपबंधों को संशोधित करने की तुरंत आवश्यकता है ताकि प्रवेश स्तर पर लागू वर्जन को नामांकन पश्चात् की किसी स्थिति पर भी वहां लागू किया जा सके जहां अपचारी अधिवक्ता को संबधित विधिज्ञ परि-ाद् द्वारा पहले ही नामांकित किया गया हो । इसके अतिरिक्त, उस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य विधिज्ञ परि-ाद् के असफल रहने के कारण न्यायालय ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 38 के अधीन अपनी स्वप्रेरणात्क शक्तियों का प्रयोग किया और पांच व-र्ा की अवधि के लिए अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया ।

5.4 उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ताओं को शासित करने वाली असंतो-ाजनक विनियामक क्रिया-विधि से निराश होकर यह मत व्यक्त करते हुए अपनी वेदना जाहिर की कि अधिवक्ता अधिनियम के उपबंधों, विशि-ट रूप से विधिक वृत्ति के लिए विनियामक क्रिया-विधि पर विचार करते हुए, और अन्य तदरूप मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके पुनर्विलोकन करने की तुरंत आवश्यकता है । और इस प्रकार यह मामला भारत के विधि आयोग को निर्दि-ट किया गया और यह कहा गया कि विधिक वृत्ति के विनियमन से संबंधित सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

z

अध्याय-6

विधि आयोग की पहल

6.1 आयोग ने तारीख 22 जुलाई, 2016 को अपनी वेब-साइट पर एक सूचना डालकर सभी पणधारियों से ये सुझाव आमंत्रित किए कि कैसे व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है । तारीख 3 अगस्त, 2016 को एक पत्र लिखकर भारतीय विधिज्ञ परि-द् का उक्त सूचना की ओर ध्यान आकृ-ित कराया गया । तारीख 4 अगस्त, 2016 को सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को एक ऐसी ही ई-मेल भेजी गई । साथ-ही-साथ सभी राज्य विधिज्ञ परि-दों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटस् ऑन रिकार्ड एसोसिएशन को एक ई-मेल भेजी गई । उसी दिन, अध्यक्ष ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा कि अधिवक्ताओं की विभिन्न एसोसिएशनों (वे जिस नाम में भी विद्यमान हों) के बीच आयोग के प्रयास का व्यापक प्रचार करने के लिए अपने कार्यालयों का उपयोग करें और आयोग को शीघ्रता से ई-मेल द्वारा अपने उत्तर भेजने का भी अनुरोध किया ।

6.2 उपर्युक्त के अनुसरण में, अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिक्रम में सर्वोच्च निकाय भारतीय विधिज्ञ परि-द् ने भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में एक सलाहाकार समिति नियुक्त की । भारतीय विधिज्ञ परि-द् ने अधिवक्ता अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक सिफारिशें कीं और आयोग के विचार के लिए एक प्रारूप विधेयक भी प्रस्तुत किया । भारतीय विधिज्ञ परि-द् का यह मत था कि विनियामक क्रिया-विधि के अतिरिक्त, अन्य अंतर-संबद्ध मुद्दों अर्थात् भारतीय विधिज्ञ परि-द् और राज्य विधिज्ञ परि-दों के गठन पर भी पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है । भारतीय विधिज्ञ परि-द् ने इस बाबत कुछ सुझाव दिए । भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा बनाया गया प्रारुप विधेयक इस रिपोर्ट के साथ उपाबंध-1 के रूप में संलग्न है ।

z

आयोग के अनुरोध के उत्तर में, कई पणधारियों जैसे विधिज्ञ संगमों (बार एसोसिएशनों), अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों ने अपने-अपने मूल्यवान सुझाव भेजे । उनके उत्तरों का सार इस रिपोर्ट के साथ उपाबंध-2 के रूप में संलग्न है ।

6.3 विधि आयोग ने अधिवक्ता अधिनियम का पुनर्विलोकन करते हुए यह महसूस किया कि अधिवक्ताओं का आचरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, न्यायालयों के कार्य को प्रभावित करता है और तद्द्वारा मामलों के लंबित रहने में उनका योगदान है । आयोग ने महसूस किया कि न्यायालय में अधिवक्ताओं के आचरण को विनियमित करने के लिए कुछ उपबंधों का होना आवश्यक है, जिनसे न्यायालय के कार्य के साथ-साथ व्यथित पक्षकार की प्रत्याशाओं पर भी समान रूप से प्रभाव पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, सभी उच्च न्यायालयों को उनके मुख्य न्यायाधीशों के माध्यम से पिछले पांच व-र्ों के दौरान उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं में हड़तालों के आह्वान कारण हुई कार्य-दिवसों की हानि पर डाटा भेजने का अनुरोध किया गया । आयोग अपने अनुरोध के अनुसरण में प्राप्त हुए उत्तरों का परिशीलन करने के पश्चात् स्तब्ध था, क्योंकि यह पाया गया कि देश में सर्वत्र अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़तालें मात्रा में थोड़े फेरफार के साथ अनियंत्रित रही हैं ।

z

अध्याय-7

न्यायालय के कार्य-दिवसों की हानि- एक आश्चर्यजनक तथ्य

7.1 प्रत्येक उच्च न्यायालय, अपनी प्रशासनिक अधिकारित के आधार पर, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कार्य-दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करते हुए विनिश्चय करता है, जो अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होते हैं ।

7.2 उत्तराखंड राज्य में, उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012-2016 के लिए भेजी गई सूचना से यह दर्शित होता है कि देहरादून जिले में अधिवक्ता 2012-2016 के दौरान 455 दिन (औसत 91 दिन प्रतिवर्ष) हड़ताल पर थे । हरिद्वार जिले में 515 दिन (एक वर्ष में 103 दिन) हड़ताल के कारण बर्बाद हुए ।

7.3 राजस्थान राज्य मे, जोधपुर उच्च न्यायालय ने 2012-2016 के दौरान 142 दिन हड़ताल के देखे, जबकि जयपुर न्यायपीठ के लिए यह आकंड़ा 30 रहा । अजमेर के जिला न्यायालयों मे, अकेले वर्ष 2014 में 114 दिन हड़ताल रही, जबकि झालावाड़ में वर्ष 2012 में हड़ताल के कारण 146 दिन बर्बाद हुए ।

7.4 उत्तर प्रदेश राज्य की दशा सर्वाधिक बुरी प्रतीत होती है । अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2011-2016 में हड़ताल का आंकड़ा चौकाने वाला है । उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायालयों को वर्ष में 265 दिन कार्य करना होता है । पांच वर्षों की अवधि में हड़ताल की अवधि से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में- मुज्जफ्फरनगर (791 दिन), फैजाबाद (689 दिन), सुल्तानपुर (594 दिन), वाराणसी (547दिन), चंदौली (529 दिन), अम्बेडकर नगर (511 दिन), सहारनपुर (506 दिन) और जौनपुर (510 दिन) हैं । आठ सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में हड़ताल के दिनों की औसत संख्या वर्ष में 115 दिन है । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इसमें ऊपर निर्दिष्ट न्यायालय वर्ष में केवल 150 दिन कार्य कर सके ।

z

7.5 इस संबंध में, तमिलनाडु के अधीनस्थ न्यायालयों में स्थिति किसी भी तरह से बेहतर नहीं थी । तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने यह रिपोर्ट दी है कि राज्य में एक व-र्ा में न्यायालयों के लिए 220 कार्य-दिवस हैं । व-र्ा 2011-2016 के दौरान कांचीपुरम, 687 दिन (प्रतिव-र्ा 117 दिन), मदुरै, 577 दिन (प्रतिव-र्ा 115.4 दिन), कुड्डालोर, 461 दिन (प्रतिव-र्ा 92.2 दिन) और शिवगंगई, 408 दिन (प्रतिव-र्ा 81.6 दिन) जैसे जिले अधिवक्ताओं द्वारा बुलाई गई हड़ताल से सबसे अधिक प्रभावित थे ।

7.6 मध्य प्रदेश और ओडीशा उच्च न्यायालयों से प्राप्त उत्तरों के अनुसार स्थिति संतो-नजनक दिखाई नहीं पड़ती है ।

7.7 आयोग ने यह पाया कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल या न्यायालय से प्रविरति मुश्किल से किसी न्यायसम्मत कारणों से थी । आयोग ने ऐसा कोई आश्वस्त करने वाला कारण नहीं पाया जिसके लिए अधिवक्ताओं ने हड़ताल की और न्यायालयों में कार्य का बहि-कार किया । हड़ताल का आह्वान करने या कार्य से प्रविरत रहने का कारण स्थानीय, रा-ट्रीय, अंतरा-ट्रीय मुद्दे रहे, जिनका न्यायालयों के कार्य से कोई लेना-देना नहीं था । उनमें से कुछ हैं- पाकिस्तान के स्कूल में बम्ब विस्फोट, श्रीलंका के संविधान में संशोधन, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, अधिवक्ता पर हमला/हत्या, नेपाल में भूकंप, अपने निकट संबंधियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करना, अन्य राज्य विधिज्ञ परि-ादों के अधिवक्ताओं के साथ एकता दर्शित करना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के आदंलनों को नैतिक समर्थन, अति वृ-टि, या कुछ धार्मिक अवसर जैसे श्राद्ध, अग्रसेन जंयती इत्यादि या यहां तक कि कवि सम्मलेन ।

7.8 आयोग का यह मत है कि जब तक आबद्धकारी परिस्थितियां न हों और संबधित विधिज्ञ परि-ाद् से एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के लिए अनुमोदन प्राप्त न कर लिया जाए, अधिवक्ता हड़ताल का आश्रय नहीं लेंगे या न्यायालय के कार्य से प्रविरत नहीं रहेंगे ।

z

अध्याय-8

हड़ताल पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय - निदंनीय कृत्य

8.1 न्यायालयों में वर्तमान स्थिति वास्तव में विस्मयकारी है और व्यंगोक्ति के रूप में यह स्थिति ही अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 2.5 करोड़ मामलों के लंबित रहने का एक कारण है । उच्चतम न्यायालय द्वारा सतत् रूप से यह घोनित किया जाता रहा है कि अधिवक्ताओं को हड़तालों का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है और यह अभिनिर्धारित है किया कि वकीलों की हड़तालें अवैध हैं और इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिएं । पांडुरंग दत्तात्रेय खांडेकर बनाम महारा-ट्र विधिज्ञ परि-द्, बम्बई[7] से लेकर भूर्तपूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ[8] तक अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है । न्यायालय मामलों को स्थगित करने के लिए किसी बाध्यता अधीन नहीं है । इसके विपरीत, सभी न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे वकीलों की अनुपस्थिति में भी अपने-अपने न्यायालयों में मामलों पर कार्यवाही जारी रखें । दूसरे शब्दों में, न्यायालय को हड़तालों या बहि-कार के आह्वानों का संसर्गी नहीं बनना चाहिए । यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई वकील, किसी मुवक्किल का वकालतनामा धारण करके, किसी हड़ताल के आह्वान के कारण न्यायालय में हाजिर होने से प्रविरत रहता है, तो वह व्यक्तिगत तौर पर खर्च का संदाय करने के लिए दायी होगा जो उस नुकसानी के अतिरिक्त होगा जो उसे अपने मुवक्किल को उसके द्वारा कारित की गई हानि के लिए संदाय करना पड़ सकता है ।

---

[7] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 110.

[8] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 739.

z

8.2 यहां यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उच्चतम न्यायालय ने भूतपूर्व कैप्टन हरीश उप्पल[9] वाले मामले में अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर विस्तारपूर्वक विचार किया था । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> " ....कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहि-कार का आह्वान करने, यहां तक कि सांकेतिक हड़ताल पर जाने, का कोई अधिकार नहीं है । अभ्यापत्ति, यदि कोई अपेक्षित हो, प्रैस कथनों, टी.वी. साक्षात्कारों, न्यायालय परिसरों से बाहर बैनर और/या पर्चे लेकर, काली या सफेद बाजूबंध पहनकर, न्यायालय परिसरों के बाहर और उनसे दूर अभ्यापत्ति कूच करके, धरने या भूख हड़ताल आदि पर बैठकर की जा सकती है । .....विरल से विरलतम मामलों में, जहां अधिवक्ताओं और न्यायालय की गरिमा, नि-ठा और स्वतंत्रता पर आंच आ रही हो तो न्यायालय अभ्यापत्ति के कारण कार्य से प्रविरति को एक दिन से अनधिक के लिए अनदेखा कर सकता है. (आंख मूंद सकता है).....।"

8.3 इन सबके बावजूद, हड़तालें किसी कमी के बिना जारी हैं । किसी कारण से भी न्याय करने से नहीं रोका जाना चाहिए । वकीलों की हड़ताल से आम जनता की दृ-टि में न्यायालयों की छवि क्षीण हुई है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है । हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य[10] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुकदमा लड़ने वाले को त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार है । तथापि, वकीलों की हड़ताल के परिणामस्वरूप राज्य में नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित होना पड़ा है ।

8.4 हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने हुसैन और एक अन्य बनाम भारत संघ[11] की दांडिक अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय का बहि-कार करने की परिपाटी की निंदा करते हुए यह मत व्यक्त किया कि:–

---

[9] पूर्वोक्त

[10] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1360.

[11] 7 मार्च, 2017 को विनिश्चित 2017 की दांडिक अपील सं. 509.

z

"एक अन्य पहलू जिसका उल्लेख किया गया है, वह वकीलों द्वारा अनुचित हड़तालों द्वारा न्यायालय की कार्यवाहियों में बाधा डालना/कार्य से प्रविरत रहना या शोक अपर्ण के पश्चात् अक्सर न्यायालय के कार्य को निलंबित करना है । भूतपूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को दृ-टिगत करते हुए, कार्य का ऐसा निलंबन या हड़तालें स्प-ट तौर पर अवैध हैं और यह उचित समय है कि विधिक बिरादरी समाज के प्रति अपने कर्तव्य को महसूस करे जो कि सर्वोपरि है । शोक अर्पण आवधिक रूप से कभी-कभार होना चाहिए अर्थात् दो/तीन माह में एक बार न कि प्रायिक तौर पर । इससे साक्षियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है यदि उनका साक्ष्य उस दिन अभिलिखित नहीं किया जाता है जिस दिन उन्हें बुलाया गया है या न्यायालय कार्यवाहियों में ऐसे परिहार्य अवरोध के कारण विलंब से अभिरक्षा में के विचाराधीन कैदियों पर पड़ने वाला असर किसी भी पेशेवर निकाय के लिए चिंता का वि-नय है और उन्हें अवश्य उचित उपाय करने चाहिएं । किसी भी दशा में, इस पर सभी संबंधित प्राधिकारियों -केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विधिज्ञ परि-नदों/विधिज्ञ संगमों तथा उच्च न्यायालयों को ध्यान देने की आवश्यकता है तथा इस समस्या को सुलझाने के लिए अर्थोपायों का पता लगाया जाना चाहिए । उपरोक्त निर्णय के अनुरूप उच्च न्यायालयों को इस पहलू को कड़ाई से मानिटर करना चाहिए और ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिएं जो न्याय प्रशासन के हित में अपेक्षित हों ।"

8.5 रमन सर्विसेज प्रा. लि. बनाम सुभा-न कपूर[12] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि कोई अधिवक्ता यह दावा करता है कि उसका हड़ताल करने का अधिकार उसे कोई हानि पहुंचे बिना होना चाहिए, अपितु हानि केवल उसके निर्दो-न मुवक्किल को वहन करनी चाहिए, तो ऐसा दावा न्यायपूर्ण व्यवहार के किसी सिद्धांत और नैतिकता के मानदंडों के विरुद्ध है । इसलिए जब वह हड़ताल या न्यायालय के बहि-कार का विकल्प चुनता है तो कम से कम उसे भी उस मुकदमा लड़ने वाले मुवक्किल को हुई धनीय हानि को वहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए

[12] ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 207.

z

जिसने अपना ब्रीफ इस पूरे विश्वास के साथ उस अधिवक्ता को सौंपा है कि उसका मामला उस अधिवक्ता के हाथों में सुरक्षित रहेगा ।

8.6 संविधान में स्वतंत्र और कुशल न्याय वितरण व्यवस्था का उपबंध किया गया है । मामलों के निपटारे में होने वाले किसी विलंब से न केवल मुकदमा लड़ने वालों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है अपितु प्रभावी रीति में न्याय देने की व्यवस्था के सामर्थ्य को भी क्षति पहुंचती है ।[13] उच्चतम न्यायालय ने किसी न किसी बहाने से स्थगन की ईप्सा करके न्यायालय के समक्ष विलंबकारी युक्ति अपनाने वाले पक्षकार के आचरण का अननुमोदन किया और यह मत व्यक्त किया कि पक्षकार ने न्याय और मामलों के त्वरित निपटारे की धारणा को अत्यधिक बदनामी पहुंचाने वाली रीति में कार्य किया है ।[14]

8.7 उच्चतम न्यायालय ने हड़तालों के मुद्दों के अतिरिक्त, अधिवक्ताओं द्वारा इच्छा अनुसार आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय को धौंस देने के बहुत सारे मामलों पर भी विचार किया है । नियम के रूप में, अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी के रूप में किसी अनपेक्षित और अनुचित मुद्दे पर हठ नहीं कर सकता है ।

8.8 विश्राम सिंह रघुवंशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[15] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "उच्चतर न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे चरित्रहीन अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक अधिकारियों की ख्याति को धूमिल करने की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की ख्याति की संरक्षा करें, जो या तो इच्छा अनुसार आदेश प्राप्त करने में असफल रहते हैं या अंतरस्थ हेतु की प्राप्ति के लिए उन पर धौंस जताने में सफल नहीं होते हैं । इस प्रकार के मुद्दे से न केवल न्यायिक अधिकारियों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है अपितु संपूर्ण संस्था की ख्याति की संरक्षा करने का प्रश्न पैदा होता है ।"

---

[13] सैय्यद गुलजार हुसैन बनाम दिवान सैय्यद अली रामुल अली खान (2014)10 एस. सी. सी. 825.

[14] गायत्री बनाम एम. गिरिश (2016) 14 एस. सी. सी. 142.

[15] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2275.

z

8.9 एम. बी. सिंह बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय[16] वाले मामले में यह राय व्यक्त की गई है कि :–

> " ऐसे अंसतु-ट तत्वों द्वारा न्यायिक अधिकारियों की ख्याति को धूमिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो इच्छा अनुसार आदेश प्राप्त करने में असफल रहते हैं और इस प्रवृत्ति को आंरभ में ही समाप्त करने का यह उचित समय है । और जब वृत्ति का कोई सदस्य न्यायाधीश पर धौंस जताने के लिए ऐसी घिनौनी युक्ति का सहारा लेता है तो यह और भी ज्यादा क-टदायक है । जब जानबूझकर विक्षुब्ध करने का ऐसा प्रयत्न किया गया हो जिससे मुकदमा लड़ने वाली जनता का व्यवस्था से विश्वास उठ जाए, तो इससे न केवल संबंधित न्यायाधीश की ख्याति को अपितु न्यायापालिका की स्वच्छ छवि को भी ठेस पहुंचती है ।"

8.10 आर. डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा[17] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "हमारे देश में, स्वीकृततः, विधिक वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर अपने आचरण और कार्यों द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करने का सामाजिक कर्तव्य अधिरोपित है । विधिक वृत्ति से, जिसे स्वीकृततः एक अति सम्मानीय वृत्ति समझा जाता है, निर्धन, अशिक्षित और शोनित लोगों को एक सहारे की आवश्यकता है । ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए या करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए जिसके द्वारा किसी मुकदमा लड़ने वाले को उसके कानूनी तथा सांविधानिक अधिकारों से केवल देश में प्रचलित न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता को प्रदत्त उच्च स्थिति के कारण वंचित होना पड़े ।"

8.11 महाबीर प्रसाद सिंह बनाम जैक्स एविएशन प्रा. लि.[18] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय कार्य-समय के दौरान न्यायिक कारबार को अग्रसर करने का प्रत्येक न्यायालय का पुनीत कर्तव्य है और किसी न्यायालय को भी दबाव की युक्तियों या बहि-कार के

---

[16] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1834.

[17] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2912.

[18] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 287.

z

आह्वानों या किसी प्रकार की धौंस के सामने झुकना नहीं चाहिए । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :–

> "कुछ भी हो, कोई भी अधिवक्ता न्यायालय से किसी मामले को इस आधार पर टालने के लिए नहीं कह सकता कि वह उस न्यायालय में उपसंजात होना नहीं चाहता ।"

8.12 मैसर्स चेतक कंस्ट्रक्शन लि. बनाम ओम प्रकाश[19] वाले मामले में न्यायालय ने न्यायाधीशों के विरुद्ध अभिकथन करने की परिपाटी की निम्नलिखित मत व्यक्त करते हुए निंदा की :–

> "वकीलों और मुकदमा लड़ने वालों को ऐसे आदेश प्राप्त करने की दृ-िट से, जो वे चाहते हैं, न्यायाधीशों को 'भयभीत' या 'अभित्रस्त' करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है ।"

राधा मोहन लाल बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय[20] वाले मामले में भी इसी मत को दोहराया गया है ।

8.13 न्यायालयों द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों को देखते हुए, किसी हड़ताल की स्थिति में, कोई न्यायालय काउंसेल के गैर-हाजिर रहने के लिए मामले का स्थगन करके अवैधता में सहभागी बनने के लिए आबद्ध नहीं है और वह एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकता है । मुकदमेबाजी के कार्य में प्रतिनिधियों और प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विधिक कार्यवाहियों में सतत रूप से विभिन्न बिंदुओं पर व्यवस्थित रूप में भाग लें जिससे कि विवादों के हल पर पहुंचा जा सके । वर्धित मोल-भाव की शक्ति का दावा करने के लिए इस आवश्यकता की स्थिति का प्रयोग न्याय परिदान व्यवस्था के उद्देश्यों का अशि-ट विकार है। अन्य अधिवक्ताओं को उनकी अपनी-अपनी कार्यवाहियों में उपसंजात होने से जबरदस्ती रोकना भी बहुत गलत बात है । हड़ताल पर जाने का कृत्य न्यायालय के अधिकारी के नाते अधिवक्ता के कर्तव्य और वृत्तिक आचरण के मानकों और नैतिकता को बनाए रखने के उसके कर्तव्य का अतिक्रमण करने की कोटि में आता है । इसके परिणामस्वरूप मुवक्किल के साथ उसके करार का अतिक्रमण भी होता है । साथ-ही साथ, यह न्यायालय का अवमान और मुकदमा लड़ने वालों के त्वरित विचारण के अधिकार का भी

---

[19] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1855.

[20] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1467.

z

अतिक्रमण है । अधिवक्ताओं के आचरण को विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकरणों की स्थापना के बावजूद अधिवक्ताओं के अस्वीकार्य कार्यों में कोई पर्याप्त सुधार दिखाई नहीं दिया है । निर्णयज विधि में हड़ताल के जिन कारणों का उल्लेख किया गया है वे संगठित हिंसा को न्यायोचित ठहराने वाले नहीं पाए गए हैं और जिनसे प्रत्यक्ष तौर पर न्याय परिदान के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

8.14 न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध मिथ्या अभिकथन करने और उनका अनादर करने की अस्वीकार्य प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा न्यायिक व्यवस्था अपनी विश्वसनीयता खो देगी । न्यायालय और अधिवक्ताओं को तुच्छ मुद्दों पर ऐसी अनावश्यक स्थितियों से बचना चाहिए जो न्याय के हेतु में बाधा डालती हों और किसी के भी हित में न हों । "अबाध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायापालिका ही नहीं किसी संस्था के विरुद्ध, निराधार अभिकथन करने का लाइसेंस समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए ।[21]" वृत्ति में के अधिवक्ता को परिश्रमी होना चाहिए और उसका आचरण विधि की उन अपेक्षाओं के संगत होना चाहिए जिनके द्वारा अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । अधिवक्ता द्वारा वृत्तिक आचार के सिद्धांतों का किसी प्रकार से अतिक्रमण करना दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है । इन सिद्धांतों के किसी प्रकार के विपथन से न केवल व्यवस्था प्रभावित होती है अपितु जनसाधारण का विश्वास भी कम होता है ।[22]

8.15 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मार्फत जिला न्यायाधीश[23] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया:–

> "न्यायिक कार्यवाहियों की अपनी ही सत्यनि-ठा और पुनीतता है । किसी को भी उसे दूनित करने का कोई प्राधिकार नहीं है । जब कोई न्यायिक कार्यवाही संचालित की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति की यह बाध्यता है कि वह उचित रूप से व्यवहार करे । इससे किसी भी प्रकार का विपथन न केवल व्यवस्था को प्रभावित करता है बल्कि जन

---

[21] डा. डी. सी. सक्सेना बनाम माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (1996) 5 एस. सी. सी. 216, 220.

[22] ओ. पी. शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2101.

[23] (2013) 14 एस. सी. सी. 127.

z

समूह के विश्वास को भी कम करता है । न तो कोई काउंसेल और न ही कोई मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति इस रीति में व्यवहार कर सकता है ।"

8.16 जैसा कि न्यायालय द्वारा सावित्री देवी बनाम जिला न्यायाधीश, गोरखपुर[24] वाले मामले में स्प-ट किया गया है, जो वकील किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध निराधार अभिकथन करते हुए प्रथम दृ-ट्या पर्याप्त आधारों की विद्यमानता के बारे में स्वयं का युक्तियुक्त रूप से समाधान किए बिना उसे नाम से अभियोजित करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है, तो यद्यपि यह विधि में अनुज्ञेय नहीं है, तो भी न्यायालय का अनादर करके अवमान करने के लिए इस कारण से समान रूप से उत्तरदायी है कि वह केवल इस कारण कि उसका मुवक्किल उक्त अधिकारी से मनमुताबिक आदेश प्राप्त करने में असफल रहा, वह अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं बन सकता है और स्वयं न्यायिक अधिकारी की ख्याति को धूमिल करने में अपने मुवक्किल के साथ सहयुक्त नहीं हो सकता है । न्यायालय का जानबूझकर अनादर करने के ऐसे प्रयत्न से, जिससे मुकदमा लड़ने वाली जनता का व्यवस्था में विश्वास ढगमगा जाए, न्यायपालिक के नाम को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचेगा[25] ।

8.17 अजय कुमार पांडे[26] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

"किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीशों पर उनके न्यायिक कार्यों के निर्वहन में कंलकात्मक, अनावश्यक और निराधार अभ्यारोपण करके उन्हें अभित्रस्त या भयभीत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है ताकि ऐसे आदेश प्राप्त कर सकें जो मुकदमा लड़ने वाला चाहता है.....अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायालय को कंलकित करने का लाइसेंस नहीं माना जा सकता है.... ।"

---

[24] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 976.

[25] एम. वाई. शरीफ बनाम माननीय न्यायाधीश नागपुर उच्च न्यायालय, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 19, शमशेर सिंह बेदी बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1974, तु-ार डी. भट्ट बनाम गुजरात राज्य (2009) 11 एस. सी. सी. 678 और आर. के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एस. सी. सी. 106.

[26] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 3299.

z

8.18 भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् बनाम केरल उच्च न्यायालय[27] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि "अधिवक्ता से किसी भी परिस्थिति में यह प्रत्याशा नहीं की जाती कि यह प्रतीत होता हो कि वह अपने मत के समर्थन के लिए असभ्य लड़ाई-झगड़े के स्तर तक गिर गया है ।"

8.19 एस. मुलगावकर[28] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि लोक हित और लोक न्याय यह अपेक्षा करता है कि जब कभी न्यायाधीश पर हमला होता है तो यह फूहड़, घृणास्पद, अभित्रस्तकारी या विद्वे-नपूर्ण है और विधि को उस पर प्रहार करना चाहिए क्योंकि वह स्रोत और प्रवाह को कलुि-त करके विधि की सर्वोच्चता को चुनौती देता है ।

8.20 विधिक वृत्ति से नैतिक मानकों की रक्षोपाय करने की अपेक्षा की जाती है । न्यायालय के अधिकारी के रूप में वकील का अपने पेशे और जनता की ओर से न्यायालय के प्रति एक कर्तव्य है । चूंकि एक वकील का मुख्य कर्तव्य न्याय करने में न्यायालय की सहायता करना है, इसलिए बार के सदस्य ऐसी रीति में व्यवहार नहीं कर सकते जो संदेहास्पद या संशयपूर्ण हो या जो मुकदमेबाजी को काबू में करने की चे-टा करते हों । वकीलों को अवश्य यह याद रखना चाहिए कि वे न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करने के लिए हैं । यदि वकील अपने कार्य को उचित रूप से नहीं करते हैं तो यह विधि के शासन के लिए पतितकारी होगा ।

8.21 एक सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में अधिवक्ता शिकायत निवारण समिति का गठन करे जो दिन-प्रतिदिन के नेमी वि-ायों पर विचार करेगी क्योंकि अधिकांश विवाद्यक और शिकायतें अधिवक्ताओं के निर्विघ्न कार्य करने में उत्पन्न होते रहते हैं । इस बाबत, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिवक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने की व्यवस्था करते हुए एक परिपत्र जारी करे जो उनकी कार्यक्षमता में सुधार करने मे सहायता करेगा ।

---

[27] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2227.

[28] ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 727.

z

8.22 यदि किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत है, तो बार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी शिकायत उठाए ।

अध्याय-9

अधिवक्ताओं के अवमानकारी कृत्यों की भर्त्सना

9.1 जिस किसी मामले में, जहां वकील का रवैया अवमानकारी है, तो न्यायालय वकील के विरुद्ध अवमान की कार्यवाहियां आरंभ कर सकता है और उसे उपसंजात होने के लिए निर्बंधित कर सकता है । सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ[29] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> "किसी प्रस्तुत मामले में यह संभव हो सकता है कि यह न्यायालय या उच्च न्यायालय अवमाकनकर्ता अधिवक्ता को तब तक के लिए अपने समक्ष उपसजांत होने से रोक दे जब तक कि वह अवमान के लिए स्वयं का मार्जन नहीं कर लेता है, किंतु यह उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या प्रतिसंहृत करने या अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से विवर्जित करने से बहुत भिन्न है ।"

9.2 भूतपूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ[30] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> " एक अंतिम बात जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है यह है कि न्यायालयों में उपसंजात होने का अधिकार अभी भी न्यायालयों के नियंत्रण और अधिकारिता के भीतर है । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को प्रवर्तन में नहीं लाया गया है और ऐसा ठीक ही है । न्यायालय में आचरण पर नियंत्रण केवल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हो सकता है । अतः, भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34 उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति देते हैं जिनमें उन शर्तों के संबंध में भी

[29] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1895.

[30] उपरोक्त नोट 8.

z

नियम बनाने की शक्ति सम्मिलित है जिन पर कोई व्यक्ति (अधिवक्ता सहित) उच्चतम न्यायालय और/या उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय कर सकता है । बहुत से न्यायालयों ने इस संबंध में नियम बनाए हैं । ऐसे नियम विधिमान्य और सभी पर आबद्धकर होंगे । बार यह नोट कर ले कि यदि स्व-अवरोध का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो न्यायालयो को अब अवमान और/या गैर-पेशवर या अशोभनीय आचरण के दो-ी अधिवक्ताओं को न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने से विवर्जित करने के लिए विनिर्दि-ट नियम बनाने के लिए विचार करना होगा । यदि ऐसा नियम बनाया जाता है तो विधिज्ञ परि-दों की अनुशासिक अधिकारिता से कुछ लेना-देना नहीं होगा । इनका सरोकार न्यायालयों की गरिमा और व्यवस्थित रूप से कार्य से होगा । अधिवक्ता के विधि व्यवसाय करने के अधिकार के अंतर्गत वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए जाने वाले उसके बहुत सारे कृत्य आते हैं । न्यायालयों में उपसंजात होने के अतिरिक्त उससे उसके मुवक्किलों द्वारा परामर्श किया जा सकता है, वह अपनी विधिक राय जब कभी उससे मांगी जाए, दे सकता है, वह लिखतों, अभिवचनों, शपथपत्रों या किन्हीं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तैयार कर सकता है, वह किसी ऐसी कांफ्रेंस में भाग ले सकता है जिसमें विधिक चर्चा अंतर्वलित हों, वह किसी कार्यालय या फर्म में विधि अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, वह अपने मुवक्किलों की ओर से मध्यस्थ या मध्यस्थो आदि के समक्ष उपसंजात हो सकता है । अधिवक्ता द्वारा उसके विधि व्यवसाय के दौरान किए जाने वाले ऐसे सभी कार्यों से ऐसे नियम का कोई सरोकार नहीं होगा । वह किसी मुवक्किल की ओर से वकालतनामा भी फाइल कर सकेगा, हालांकि न्यायालय के अंदर उसकी उपसंजाति अनुज्ञात न हो । **न्यायालय में आचरण का वि-नय ऐसा है जिसका सरोकार न्यायालय से है और इसलिए विधिज्ञ परि-द् यह दावा नहीं कर सकती कि न्यायालय के अंदर जो कुछ घटित होगा उसको भी उनके द्वारा अपनी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियमित किया जाएगा ।**" (हमारे द्वारा बल दिया गया है)

z

9.3 आर. के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय[31] वाले मामले में अधिवक्ता को साबित हुए अवचार के लिए एक विशि-ट अवधि के लिए न्यायालयों में उपसंजात होने से विवर्जित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कायम रखा कि जब तक ऐसा व्यक्ति स्वयं का अवमान से मार्जन नहीं कर लेता है या न्यायालय द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाता है तब तक दो-नसिद्धि के परिणामस्वरूप अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति के निलंबन या समाप्ति के अभाव में भी न्यायालय में उपसंजात होने के लिए विवर्जित होगा । अमित चंचल झा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय[32] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता को उसकी आपराधिक अवमान के लिए हुई दो-नसिद्धि के कारण न्यायालय में उपसंजात होने से विवर्जित करने वाले आदेश को कायम रखते हुए इसी दृ-टिकोण को दोहराया ।

9.4 आर. के. आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय[33] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि अवमानकर्ता निर्णय की तारीख से एक व-र् तक कोई फीस लेकर या व्यक्तिगत बातों के लिए किसी प्रकार का वृत्तिक कार्य नहीं करेगा । वह अपनी वृत्तिक सेवाएं निशुल्क अनन्य रूप से ऐसे अभियुक्तों की सहायता के लिए देगा, जो साधनों के अभाव में अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए किसी वकील को मुकर्रर करने और न्यायालय के समक्ष अपने मामलों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं । अवमानकर्ता अपनी वृत्तिक सेवाएं दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा जो दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ समन्वय करके बे-वकील अभियुक्तों के मामले में या तो विचारण या अपील के प्रक्रम पर हाजिर होकर अवमानकर्ता की सेवाओं का उपभोग करने के लिए एक स्कीम बनाएगा । अवमानकर्ता न्यायालय में केवल विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में ही उपसंजात होगा । दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण अवमानकर्ता को सौंपे गए सभी मामलों और उन मामलों के परिणाम/प्रगति का अभिलेख रखेगा । व-र् के अंत में, दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण अवमानकर्ता द्वारा उसकी प्रेरणा पर किए गए सभी मामलों की बाबत उच्चतम न्यायालय को

---

[31] (2009) 8 एस. सी. सी. 106.

[32] (2015) 13 एस. सी. सी. 288.

[33] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 670.

z

एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो परिशीलन के लिए न्यायाधीशों के समक्ष रखी जाएगी । एक वर्ष की समाप्ति पर अवमानकर्ता अपना प्राइवेट विधि व्यवसाय ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होगा । किंतु वह विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए किसी मामले को अधूरा नहीं छोड़ेगा । वह उन मामलों को उनके बंद होने तक निःशुल्क करता रहेगा ।

9.5 उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश उच्च न्यायालयों ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन नियम बनाए हैं और उच्च न्यायालयों तथा संबंधित जिला न्यायाधीशों को किसी अधिवक्ता को न्यायालय में उपसंजात होने से विवर्जित करने के लिए आदेश पारित करने के लिए सशक्त किया गया है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों का सुसंगत भाग निम्नलिखित है: -

"**10. सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिवक्ता का निलंबन-** कोई अधिवक्ता, जिसे विवर्जित किया गया है या निलंबित किया है या जिसका नाम अधिवक्ताओं की नामावली से काट दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 के अर्थांतर्गत किसी पक्षकार के मान्यताप्राप्त अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।

11. अवमान कारित करने के पश्चात् अधिवक्ता की उपसंजाति - कोई अधिवक्ता, जिसे न्यायालय अवमान का दो-ी पाया गया है, तब तक किसी न्यायालय में उपसंजात होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि उसने क्षमायाचना करके जो स्वीकार की गई है या उस पर अधिरोपित दंड भुगत कर या जहां अपील की दशा में रोकादेश लागू है, मार्जन न कर लिया हो ।

स्प-टीकरण- इस नियम के अधीन अवमान का मार्जन करने के प्रयोजन के लिए, दंड भुगत लेना या जुर्माने का संदाय कर देना या दोनों आवश्यक रूप से पर्याप्त नहीं होंगे ।"

9.6 मद्रास उच्च न्यायालय ने तारीख 20 मई, 2016 को अधिनियम, 1961 की धारा 34(1) के अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन प्रकाशित किया । सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जाता है: -

"**14-क: विवर्जित करने की शक्ति-**

z

(vii) अधिवक्ता, जिसे किसी न्यायाधीश के नाम पर या उसे प्रभावित करने के बहाने धन स्वीकार करते हुए पाया जाता है; या

(viii) अधिवक्ता, जिसे न्यायालय अभिलेख या न्यायालय आदेश के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया जाता है ; या

(ix) अधिवक्ता, जो किसी न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी को धौंस दिखाता है और/या गाली-गलौच करता है ; या

(x) अधिवक्ता, जिसे किसी न्यायिक अधिकारी या किसी उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध निराधार और सिद्ध न हुए अभिकथन भेजने या फैलाते हुए पाया जाता है ; या

(xi) अधिवक्ता, जो न्यायालय परिसर के अंदर किसी जलूस में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए और/या न्यायालय के हाल के अंदर घेराव करने में अंतर्वलित पाया जाता है या न्यायालय के हाल के अंदर पर्चे लिए हुए पाया जाता है ; या

(xii) अधिवक्ता, जो शराब के नशे में न्यायालय में उपसंजात होता है ;

उसे उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थायी तौर पर या ऐसी अवधि के लिए जो न्यायालय उचित समझे, उपसंजात होने के लिए विवर्जित किया जाएगा और उसके उपरांत रजिस्ट्रार जनरल उक्त तथ्य की रिपोर्ट तमिलनाडु विधिज्ञ परि-द् को भेजेगा ।

14-ख: कार्रवाई करने की शक्ति-

....

(iv) जहां किसी अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष नियम 14-क के अधीन निर्दि-ट कोई ऐसा अवचार कारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने और उच्च न्यायालय तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विवर्जित करने की शक्ति होगी ।

(v) जहां किसी अधिवक्ता द्वारा नियम 14-क के अधीन निर्दि-ट अवचार किसी प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष कारित किया जाता है, वहां प्रधान जिला न्यायाधीश को संबंधित अधिवक्ता

z

के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने और ऐसे जिले के भीतर अन्य न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विवर्जित करने की शक्ति होगी ।

(vi) जहां किसी अधिवक्ता द्वारा नियम 14-क के अधीन निर्दि-ट अवचार किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कारित किया जाता है, वहां संबंधित न्यायालय उस प्रधान जिला न्यायालय को जिसकी अधिकारित के भीतर वह न्यायालय स्थित है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रधान जिला न्यायाधीश को संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने और ऐसे जिले के भीतर अन्य न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए विवर्जित करने की शक्ति होगी ।

14-ग: अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-

यथास्थिति, उच्च न्यायालय या प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय नियम 14-क के अधीन आदेश करने से पूर्व ऐसे अधिवक्ता को हाजिर होने और समन में अभिकथित वि-नयों के बारे में कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, उसके समक्ष प्रत्यावर्तनीय, समन जारी करेगा और यदि व्यवहार्य हो तो उस पर समन व्यक्तिगत तौर पर तामिल किया जाएगा ।

14-घ: अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति-

उच्च न्यायालय या प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय नियम 14-ग के अधीन अंतिम आदेश करने से पूर्व जांच लंबित रहने के दौरान समुचित मामलों में, जो वह ठीक समझे, संबधित अधिवक्ता को, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिनिद्ध करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा ।"

9.7 गुजरात उच्च न्यायालय जैसे अन्य उच्च न्यायालयों ने भी अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34(1) के अधीन इसी प्रकार के नियम बनाए हैं ।

z

अध्याय-10

सिद्धदो-न व्यक्तियों द्वारा लोक कृत्य करने का औचित्य

10.1 विधि आयोग ने अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24-क, जिसमें कतिपय दशाओं में नामांकन के लिए निर्हरता का उपबंध है, में सुझाए गए उपांतरणों की वांछनीयता पर विचार किया । धारा 24-क में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, जिसे किसी अपराध का सिद्धदो-न ठहराया गया है, दंडादेश पूरा होने से दो व-र्ा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए पात्र बन सकेगा । इसके अतिरिक्त, यह भी दिखाई पड़ता है कि धारा 26-क, जिसमें विधिज्ञ परि-ादों के लिए नामावली से नाम हटाने के लिए उपबंध किया गया है, इसमें ऐसे अधिवक्ताओं के नाम हटाने का उपबंध नहीं है जिसे किसी अपराध के लिए दो-ासिद्ध किया गया है । 'सी' बनाम गुजरात विधिज्ञ परि-द्[34] वाले मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए इन पहलुओं की परीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा महीपाल सिंह राणा (उपरोक्त) वाले में निम्न प्रकार से उद्धृत किया गया है और दोहराया गया है :–

> " .....तथापि, हम इस तथ्य पर हमारी व्यथा और निराशा की भावना को अभिलेख पर लाने के इस अवसर का उपभोग करना चाहते हैं कि लोक सेवक, जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अवैध परितो-ाण लेने के अपराध का दो-ी पाया जाता है, उसे कारावास से उसकी रिहाई की तारीख से दो व-र्ा व्यतीत होने के पश्चात् बार के सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है । वे प्राधिकारी, जिनका इस प्रश्न से सरोकार है, इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या ऐसा उपबंध उस उच्च महता के अनुरूप है जो विधिक वृत्ति को प्राप्त है (जिसे हम प्रायः उदार वृत्ति के रूप में वर्णित करते हैं) और यहां तक कि जिस वृत्ति से उच्चतम न्यायपालिक के सदस्य

[34] (1982) 2 गुजरात एल. आर. 706.

z

तक लिए जाते हैं । यह आवेश में मानसिक संतुलन खोने से क्षण भर में कारित किया गया अपराध नहीं है । भ्र-टाचार ऐसा अपराध है जो सोच-विचार करके किया जाता है और यह उसके लिए जीवन जीने का ढंग बन जाता है ....। विधिक वृत्ति करने वालों को विचार करना है कि क्या वे कानून की पुस्तक में ऐसे किसी उपबंध को जारी रखना चाहेंगे और ऐसे व्यक्तियों को प्रवि-ट करना चाहेंगे जिन्हें नैतिक अधमता में अंतर्वलित अपराधों के लिए सिद्धदो-न ठहराया गया है और ऐसे व्यक्ति जिन्हें अवैध परितो-ण स्वीकार करने, बलात्कार, डकैती, कूटरचना, लोक निधियों के दुर्विनियोजन, करेंसी और सिक्कों के कूटकरण से संबंधित अपराधों और इसी प्रकृति के अन्य अपराधों के लिए दो-सिद्ध किया गया है, उन्हें केवल इस कारण सदस्य के रूप में नामांकित कर लिया जाए क्योंकि कारावास से उनकी रिहाई की तारीख से दो व-र्ष व्यतीत हो गए हैं । क्या दो व-र्ष बीत जाने से ऐसे भ्र-ट चरित्र के व्यक्ति का परिमार्जन हो जाता है, उसके मस्ति-क की शुद्धि हो जाती है और वह इस उदार वृत्ति के सदस्य के रूप में नामांकित किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति के रूप में रुपांतरित हो जाता है ? उसे इसलिए नामांकित किया जाए, ताकि विधवाएं उसके पास जा सकें, अप्राप्तवयों के संपत्तियों से संबंधित मामले और धनी तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध कर्मकारों की ओर से मामले संशय के बिना उसे सौंपे जा सकें, न्यायालय के अभिलेखों को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकें, न्यायालय में उसकी कही हुई बात स्वीकार की जाए ? क्या काले चोंगे के रूप में उसे एक चरित्र प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए ताकि न्याय की ईप्सा करने वाले अनभिज्ञ मुकदमा लड़ने वालों के लिए सत्यनि-ठा और विश्वसनीयता का वचन दिया जा सके ? इसलिए इस आदेश की एक प्रति भारतीय विधिज्ञ परि-द् और राज्य विधिज्ञ परि-दों के संबंधित समुचित प्राधिकारियों, भारत सरकार के विधि मंत्रालय और विधि आयोग को भेजी जाए जिससे कि इस वृत्ति की छवि को परिरक्षित करने की दृ-टि से इस मामले की पूर्णतः और गहनता से परीक्षा की जा सके और विधिज्ञ परि-द् की नामावलियों में ऐसे व्यक्तियों को प्रवि-ट करने से होने वाले अंतर्निहित खतरों से न्याय की ईप्सा करने वाले व्यक्तियों की संरक्षा की जा सके ।"

z

10.2 विधि आयोग का यह मत है कि नामांकन के पश्चात् धारा 24 में वर्णित प्रकृति के मामलों में किसी अधिवक्ता की दो-नसिद्धि की दशा में बार से हटाया गया व्यक्ति दो व-र्ा के पश्चात् किसी भी प्रकार से न्याय परिदान व्यवस्था के माध्यम से अपनी शिकायत के निवारण की ईप्सा करने वाले व्यक्ति की ओर से अभिवाक् करने के लिए वांछनीय नहीं हो जाता है । अतः, विधिक वृत्ति को अधिवक्ताओं की विधिक प्रास्थिति तथा न्यायालय में किसी व्यक्ति की ओर से अभिवाक् करने की बात को अभिस्वीकार करते हुए एक बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है । इसी प्रकार, जब नामांकन हो जाता है, ऐसी निरर्हता को हटाने का मुश्किल से कोई औचित्य हो सकता है जो अन्यथा नामांकन के लिए लागू हो । इस उपबंध के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त वर्जना निश्चित रूप से नामांकन के पश्चात् भी प्रवर्तित रहनी चाहिए । इस दृ-टि से, आयोग किसी सिद्धदो-न व्यक्ति को महत्वपूर्ण लोक कार्यों को करने के लिए अनुज्ञात करने की अवांछनीयता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धारा 24-क और 26-क के स्थान पर नयी धाराएं प्रतिस्थापित करने की सिफारिश करता है ।

z

अध्याय-11

छायाभास के घेरे में वकालत

11.1 हाल ही की मीडिया रिपोर्टों[35] के अनुसार, भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् ने अधिवक्ताओं का भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् प्रमाणपत्र और विधि व्यवसाय का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 के अधीन सत्यापन किया और यह पता चला कि वकीलों की बड़ी प्रतिशतता (33 से 45 प्रतिशत) नकली है । ऐसे वकील या तो नकली उपाधि के साथ या किसी उपाधि के बिना ही विधि व्यवसाय कर रहे थे । सत्यापन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और तथाकथित नकली वकीलों की केवल संवीक्षा करके ही शनाख्त की जा सकती है । यह आशंका है कि अभिकथित नकली वकील न्यायपालिका, सरकारी सेवाओं में भी प्रवेश करने मे सफल हो गए होंगे और उनमें से कुछ सरकारी प्लीडर, विधि अधिकारी आदि नियुक्त किए गए हो सकते हैं । ऐसे व्यक्ति प्रतिरूपण करके और आपराधिक -ाड्यंत्र करने के अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं । अतः, ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया विधिक परामर्श न्याय के परिदान और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और विधिक व्यवस्था में उनके अस्तित्व मात्र से निश्चित रुप से लोक विश्वास क्षीण होगा ।

11.2 विधिक वृत्ति की श्रे-ठता पर प्रतिछाया डालने वाला यह एक निर्णायक वि-नय है । इसलिए वकालत की सत्यनि-ठा को स्थापित करने के लिए, संपूर्ण संवीक्षा और सत्यापन करने की आवश्यकता है । इस ध्येय की प्राप्ति के लिए, विधि आयोग अधिवक्ताओं के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए और अधिवक्ताओं के पूर्ववृतों, आचरण, व्यवसाय के स्थान का समय-समय पर सत्यापन करने के लिए तथा सभी अधिवक्ताओं का डाटा-आधारित वेब-पोर्टल बनाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् को एक विनिर्दि-ट नियम बनाने की शक्ति देने की सिफारिश करता है ।

---

[35] दि टाइम्स आफ इंडिया दिल्ली, तारीख 23.1.2017, दि हिंदू, तारीख 26.12017 और हिंदुस्तान टाइम्स तारीख 19.3.2017.

z

अध्याय-12

भारत में विधि शिक्षा

12.1 आयोग को दिया गया आदेश वृत्ति में के अधिवक्ताओं के आचरण को नियमित करने पर केंद्रित है । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अंतर्वलित मुद्दों पर विचार करने का यह आधा-अधूरा प्रयास होगा यदि हम यह महसूस नहीं करते कि मानकों को बनाए रखने के लिए विनियामक स्कीम शिक्षा के प्रक्रम से लेकर नामांकन तथा सक्रिय विधि व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण तक साथ-साथ चलनी चाहिए । बुनियादी स्तर पर मानक-स्थापन करने मे ढिलाई बरतने से पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी ।

12.2 वकील किसी देश की प्रगति के अग्रणी रहे हैं और मानव स्वांतत्र्य और विधि के शासन की सदैव उत्साहपूर्वक रक्षा की है । विधि के क्षेत्र में विशे-नज्ञता होने के कारण मूल अधिकारों और विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के शिकार व्यक्तियों के मामलों को उठाते रहे हैं और नागरिकों के सिविल और मानव अधिकारों की संरक्षा करते हैं । वे न्यायालयों के समक्ष वाद-विवाद करते हैं कि राज्य की कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती । इसलिए विधि शिक्षा ऐसे पेशेवर भी तैयार करे जो नई चुनौतियों और अंतरा-ट्रीयकरण के उन आयामों का सामना करने के लिए सक्षम हों जहां विधि और विधि व्यवसाय दोनों में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त, नवीन विधिक जानकारी और विचार सृजित करने के लिए ऐसे मौलिक और पथ-प्रवर्तक विधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है, जो देश की आवश्यकताओं और संविधान के आदर्शों तथा लक्ष्यों के अनुकूल रीति में इन चुनौतियों का सामना करेंगे । आज विधि शिक्षा अपनी प्रेरणा समाज के आर्थिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक तानेबाने से प्राप्त करती है ।

क. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

z

12.3 विधि शिक्षा सामाजिक न्याय के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । विधि शिक्षा या विधियों के ज्ञान के कारण वकीलों को सामाजिक अभियांत्रिक के रूप में चित्रित किया जाता है । विधि शिक्षा का प्रारंभ औपचारिक रूप से 1855 में तब हुआ जब राजकीय हिंदू महाविद्यालय, कलकत्ता, एलफिनस्टोन महाविद्यालय, मद्रास और राजकीय विधि महाविद्यालय, बम्बई में इसकी शुरूआत हुई ।

12.4 फेलिक्स फ्रेंकफर्टर का मत है : "अंतिम विश्ले-ाण में, विधि वैसी है जैसे वकील हैं । और विधि और वकील वैसे हैं जैसे विद्यालय उन्हें बनाते हैं ।[36]"

12.5 भारत सरकार द्वारा डा. एस. राधाकृ-णन् की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर "रिपोर्ट देने और उन सुधारों और विस्तारों पर सुझाव देने के लिए जो देश की वर्तमान और भावी अपेक्षाओं के अनुकूल हों"[37], विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था । आयोग ने अगस्त, 1949 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, विधि शिक्षा में सारभूत सुधार करने की सिफारिश की ।

ख. सांविधानिक ढांचा

12.6 संविधान में प्रारंभतः शिक्षा संबंधी वि-नय 7वीं अनुसूची की सूची 2 में रखकर शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य राज्यों पर डाला गया था । किंतु यह वि-नय अब संघ और राज्यों को समवर्ती विधायी शक्तियां देते हुए सूची 3 का भाग है । चिकित्सा और अन्य वृत्तियों के साथ-साथ विधिक वृत्ति भी सूची 3 (प्रविष्टि 26) में है । तथापि, संघ उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के समन्वय और मानकों का अवधारण करने के लिए सशक्त है और इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ, रा-ट्रीय

---

[36] बेंजामिन एच बार्टन में उद्धृत फेलिक्स फ्रेंकफर्टर की ओर से श्री रोजनवोल्ड को पत्र, (13 मई, 1927), दी लायर-जज बायस इन अमेरिकन लीगल सिस्टम (केमब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यार्क, 2011) 273.

[37] शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट" (दिस. 1948-अगस्त,1949), वाल्यूम-1 (1950), www.academic- india.com/ Radhakrishanan%20Commission%Report%20of% 201948-49.i pdf at page I.

z

महत्व के शैक्षणिक संस्थाओं, वृत्तिक, व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण तथा विशे-न अध्ययन या अनुसंधान के संवर्धन के संबंध में भी अनन्य शक्ति है ।

12.7 उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 39क के उपबंधों पर विचार करते हुए राज्य सरकारों को विधि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को अनुदान-सहायता देने का निदेश दिया ।[38]

ग. पूर्ववर्ती विधि आयोगों की रिपोर्टें

12.8 भारत के विधि आयोग ने 1958 में न्यायिक प्रशासन में सुधार शी-र्क के अधीन प्रकाशित अपनी 14वीं रिपोर्ट में विधि शिक्षा के स्तर के बारे में बल दिया और एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की तथा यह मत व्यक्त करते हुए व्यवस्था पर खेद व्यक्त किया कि अनेक विद्यालयों में औसत दर्जे की प्रतिभा और साधारण योग्यता वाले अंशकालिक अध्यापकों द्वारा विधि शिक्षा प्रदान की जाती है । विधि विद्यालयों की बाढ़-सी आ गई है । अधिकांश विद्यालयों के पुस्तकालयों की हालत जर्जर है । विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि उत्साही प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त सारांश रटकर एल.एल.बी. की परीक्षाओं को कैसे उतीर्ण करना है । महाविद्यालय पर्याप्त प्रक्षिशित कर्मचारिवृंद के बिना मलिन कमरों में चलाए जाते हैं । इस प्रकार, विधि महाविद्यालय अध-पके वकील पैदा कर रहे हैं जिन्हें विधि का बुनियादी ज्ञान तक नहीं है और उन्हें आलसी और पराश्रयी के रूप में समझा जाता है ।

12.9 विधि शिक्षा के विनियमन में विधिज्ञ परि-दों के अंतर्वलन के प्रश्न पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा को शासित करने वाला क्या समुचित निकाय होना चाहिए, इस मुद्दे की कुछ संवीक्षा की गई है । जैसा कि विधि आयोग की 184वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, विधि शिक्षा समिति के गठन में शिक्षा के क्षेत्र के विशे-ज्ञ और समर्पित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि विधि शिक्षा विधि व्यवसाय में हो रहे तीव्र विकास के संगत बनी रहे, परिवर्तन किए

[38] प्रेम चंद जैन और एक अन्य बनाम आर. के. छाबड़ा, ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 981. दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह, ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 336 और वी. सुधीर बनाम भारतीय विधिज्ञ परि-द्, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1167.

z

जाने की आवश्यकता हो सकती है । आयोग ने विधि शिक्षा में मानक-स्थापन, कौशल और मूल्यों, वैश्वीकरण और प्रत्यायन, एडीआर प्रशिक्षण, अधिवक्ताओं और न्यायालय से अध्यापकों का अनुबंध, विधि विद्यालयों के स्थापन के लिए प्रक्रियाएं, शिक्षुता आदि से संबंधित प्रश्नों की भी परीक्षा की थी । किंतु 184वीं रिपोर्ट में अंतर्वि-ट सुझावों को अग्रनीत नहीं किया गया है ।

12.10 इसी प्रकार की तर्कणा 2009 में रा-ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट[39] में भी है जिसने उच्चतर शिक्षा में एक स्वतंत्र विनायमक प्राधिकरण तथा विधि शिक्षा के लिए सभी पणधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 व्यक्तियों की एक स्थायी समिति की आवश्यकता की प्रस्थापना की और इसे स्प-ट किया । आयोग ने इस तानेबाने के भाग के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता, रेटिंग व्यवस्था, पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा व्यवस्था, विधिक अनुसंधान, संकाय प्रतिभा, विधि शिक्षा वित्तपो-ाण, अंतररा-ट्रीय आयामों और सूचना तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में भी अनेक सुझाव दिए थे ।

घ. विधिक स्थिति

12.11 उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् बनाम दयानंद विधि महाविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड[40] वाले मामले में अपने विनिश्चय के द्वारा भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् को अधिवक्ता अधिनियम के उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपलब्ध कानूनी शक्तियों का सर्वेक्षण किया और यह नि-कर्-ा निकाला कि देश में विधि व्यवसाय और विधि शिक्षा से भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् का सरोकार है ।

12.12 प्रेम चंद जैन और एक अन्य बनाम आर. के. छाबड़ा[41] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत में उच्चतर शिक्षा के मानकों के विनियमन के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की भूमिका और उत्तरदायित्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए बल दिया गया ।

---

[39] रा-ट्रीय ज्ञान आयोग की रा-ट्र को रिपोर्ट 2006-2009, मार्च 2009, पृ. 79-81 पर

[40] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1342.

[41] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 981.

z

12.13 दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह[42] वाले मामले में का विनिश्चय इस संबंध में एक दृ-टांतस्वरूप है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कर्मचारिवृंद के लिए अर्हताएं विहित करते हुए बनाए गए विनियम इस बाबत अन्य सभी विधानों पर अभिभावी होंगे । प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[43] वाले मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियामक स्वरूप की संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में अभिपुन्टि की है ।

12.14 भारतीय विधिज्ञ परि-द् विधि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले न्यूनतम मानकों को विनियमित करने के लिए एक निकाय के रूप मे परिकल्पित है और भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों में वास्तव में न्यूनतम मानदंड के आधार पर संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए विस्तृत ढांचे का उपबंध है । तथापि, बार में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है और वी. सुधीर बनाम भारतीय विधिज्ञ परि-द[44]् वाले मामले में भी यह न्यायिक ध्यानाक-र्ण की वि-यवस्तु रहा है । विधि वृत्ति के स्तर में सुधार के लिए दो उपाय अत्यावश्यक समझे गए हैं अर्थात् बार में दाखिल होने से पूर्व बार परीक्षा की शुरूआत तथा किसी ज्ये-ठ अधिवक्ता के अधीन शिक्षुता की अनिवार्यता ।

12.15 विधिक वृत्ति के गिरते स्तर की जांच करने के लिए व-र् 1994 में न्यायमूर्ति ए. एच. अहमदी की अध्यक्षता में विधि शिक्षा पर उच्च शक्तिप्राप्त समिति गठित की गई थी । इस समिति ने शिक्षुता और बार परीक्षा की आवश्यकता की सिफारिश की और इसे दोहराया । इसलिए भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों को अग्रसर करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परि-द् (प्रशिक्षण) नियम, 1995 बनाए गए थे जो वी. सुधीर[45] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिए गए ।

ड. नि-कर्-

---

[42] ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 336.

[43] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2026.

[44] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1167.

[45] पूर्वोक्त

z

12.16 विधि महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना और संसाधनों में कायापलट करने की आवश्यकता है । हमारे विधि महाविद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधाओं को उन्नत करने की आवश्यकता है जिसके लिए संसाधन जुटाए जाने चाहिएं ।

12.17 भारत मे विधि शिक्षा को ऐसी रीति में संरचनाबद्ध किया जाना चाहिए जहां भारतीय विधिज्ञ परि-द् विधि शिक्षाविदों के साथ मिलकर इसमें नव परिवर्तन लाने, प्रयोग करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करे । वैश्वीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत में विधि शिक्षा के संपूर्ण तानेबाने में परिवर्तन करने के लिए एक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए ।

z

अध्याय-13

अधिवक्ताओं का नामांकन-पूर्व प्रशिक्षण

13.1 एक अन्य समस्या जिसको उजागर किए जाने की आवश्यकता है, यह है कि नए विधि स्नातक कोई प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना या अधीनस्थ न्यायालयों का सामना किए बिना उच्चतर न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होना आरंभ कर देते हैं । मुकदमा लड़ने वालों द्वारा मुकर्रर किए गए काउंसेल न्यायालय में उपसंजात नहीं होते, बल्कि मामलों के निपटान के लिए नए-नए अधिवक्ताओं को भेज देते हैं । संजय कुमार बनाम बिहार राज्य[46] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी स्थिति पर विचार करते हुए ऐसी परिपाटी की यह मत व्यक्त हुए भर्त्सना की कि "अर्जी", "फर्जी", अध-पके वकील "प्रोक्सी काउंसेल" के लेबल में मुकदमा लड़ने वाले से किसी परिचय या प्राधिकार के बिना न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग, दुरुपयोग या कुउपयोग इस मिथ्या धारणा के अधीन करते हैं कि उन्हें लोक समय बर्बाद करने का अधिकार है ।

13.2 रामेश्वर प्रसाद गोयल[47] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अपूर्व कदम उठाते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि श्री गोयल, एओआर का तुच्छ रकम के लिए न्यायालय में उपंसजात हुए बिना अपने हस्ताक्षर ऋणद करने का आचरण निदंनीय था और क्षमा योग्य नहीं है, और उसकी परिनिंदा की गई । न्यायालय ने उसे एक वर्-ा की परिवीक्षा पर रखा ।

13.3 उपरोक्त को दृ-टिगत करते हुए, विधि आयोग किसी व्यक्ति का अधिवक्ता के रूप में प्रवेश करने से पूर्व उसके नामांकन-पूर्व प्रशिक्षण और शिक्षुता के लिए भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7(1) में एक विनिर्दि-ट खंड की सिफारिश करता है ।

---

[46] (2014) 9 एस. सी. सी. 203.

[47] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 850.

z

अध्याय-14

भारत में विदेशी फर्मों और वकीलों की संभाव्यता

14.1 हाल ही के व-र्षों में, प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक है या आर्थिक, तीव्र रुपांतरण अनुभव किया गया है । नये-नये परिदृश्यों के प्रारंभ के कारण विश्व तीव्रता से सिकुड़ता जा रहा है । देश एक-दूसरे पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं । अर्थव्यवस्था का अन्य देशों के लिए खुलने और अंतरा-ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य के फैलाव के कारण "कारबार करने में सुगमता" से संबंधित विभिन्न देशीय विधियों और अन्य सुसंगत विधियों का पुनर्विलोकन करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम भी है । आयात और निर्यात की मात्रा में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के आयात के साथ-साथ नयी-नयी कंपनियों और समुत्थानों के निर्माण और बहु-रा-ट्रीय कंपनियों को भारत में अपनी समनु-नंगी कपंनियां स्थापित करने के निमंत्रण से तथा यहां पर उनके वाणिज्यिक स्थापन स्थापित होने के कारण अंतरा-ट्रीय माध्यस्थम की शुरूआत की आवश्यकता हुई । विदेशी वकील प्रायः कंपनियों और उनके स्थापनों की ओर से समय-समय पर माध्यस्थम के मामलों में भारत में उपसंजात होते हैं ।

14.2 भारत में विदेशी फर्मों और वकीलों को अनुज्ञात करने और भारत में विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं के लिए अन्य देशों में विपर्ययेन प्रंबंध करने का मुद्दा, समय-समय पर, विभिन्न मंचों पर उठाया गया है । इस संदर्भ में, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 17, 29 और 47 की गहन परीक्षा की जानी चाहिए । धारा 17 के निबंधनों के अनुसार, वकालत का पेशा करने के इच्छुक व्यक्ति को राज्य विधिज्ञ परि-द् द्वारा रखी गई अधिवक्ताओं की नामावली में नामांकन कराया जाना आवश्यक है । धारा 29 से यह दृ-टिगोचर होता है कि केवल अधिवक्ता अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता ही विधि व्यवसाय करने के हकदार व्यक्तियों का मान्यताप्राप्त प्रवर्ग समझा जाता है । धारा 47 पारस्परिकता से संबधित है जिसके अधीन किसी अन्य देश की प्रजा को राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा, यदि सम्यक् रूप से अर्हित भारत के

z

नागरिकों को ऐसे अन्य देश में विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ।

14.3 विदेशी वकीलों और विधि फर्मों को भारत में विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात करने के मामलों में, विभिन्न मंचों पर समय-समय पर उठाया जाने वाला मूलभूत आक्षेप यह है कि भारत के विधि स्नातकों को यूनाइटेड किंगडम, यू. एस. ए., आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में विधि वृत्ति का व्यवसाय, उनकी दुर्वहनीय प्रक्रिया का अनुसरण करने के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाता है, जो कि बहुत खर्चीली भी है । इसके अतिरिक्त, अर्हित परीक्षा उतीर्ण करना, पूर्विक अनुभव होना, कार्य परमिट आदि जैसे बहुत से निर्बंधन भी है, जो अधिवक्ता अधिनियम में उन विदेशी वकीलों के लिए अनुध्यात नहीं है जो भारत में विधि व्यवसाय करना चाहते हैं । इसलिए विदेशी विधि फर्मों और वकीलों के प्रवेश को अनुज्ञात करने के मुद्दे को उन बाह्य देशों में प्रचलित प्रबंधों के समान किन्हीं पारस्परिक प्रबंधों के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

14.4 विदेशी विधि फर्मों को भारत में अपना कारबार करने के लिए अनुज्ञात करने वाले मुद्दे की इसके सही परिप्रेक्ष्य में यह परीक्षा किए जाने की अपेक्षा है कि यह आवश्यकता कैसे उद्भूत हुई । पूर्व की परिपाटियों से यह देखा जा सकता है कि विदेशी विधि फर्म कारबार और औद्योगिक स्वत्वधारी अधिकारों के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्शी/सहायक सेवाएं देते रहे हैं और बाजार सर्वेक्षण तथा बाजार गवे-णा का कार्य सम्पादित कर रहे हैं । वे उनके बौद्धिक सांपत्तिक अधिकारों की भी संरक्षा करते हैं । विदेशी वकील उनकी अपनी विधि व्यवस्था पर सलाह देने के लिए प्रायिक तौर पर भारत आते रहते हैं । विदेशी विधि फर्म दस्तावेजों को तय करने के लिए बातचीत में भाग लेने और भारत में माध्यस्थम कार्यवाही संचालित करने के उद्देश्य से आती हैं ।

14.5 अंतरा-ट्रीय माध्यस्थम भारत और विश्व के लगभग सभी देशों में विकसित हो रहा है । भारत व्यापार और सेवाओं पर साधारण करार (गेटस) का हस्ताक्षरी देश है, जिसने विश्व के विभिन्न भागों में स्थित बहुत से अंतरा-ट्रीय कारबार स्थापनों के भारत में आने और उनको अपने कारबार स्थापित करने के लिए द्वार खोल दिए हैं । बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां भी विलयन, अर्जन या प्रत्यक्ष विनिधान द्वारा विदेशी गंतव्य पर पहुंच रहे

z

हैं । ऐसे कई सारे संव्यवहार हो सकते है, जिनमें भारतीय कंपनी के साथ संव्यवहार करना पड़ सकता है और उस संव्यवहार पर लागू होने वाली विधियां उक्त बाहरी देश की हो सकती हैं । इस संदर्भ में, उक्त संव्यवहार पर विदेशी विधि किस रीति में लागू होगी, इस बारे में किसी विदेशी वकील से विधिक सलाह की ईप्सा करना अनुचित नहीं माना जा सकता है ।

14.6 पूर्वगामी चर्चाओं के अतिरिक्त, विदेशी विधि फर्मों का भारत मे अपने कारबार का स्थान (संपर्क अधिकारी) स्थापित करने का मुद्दा और इससे संबद्ध मुद्दे कई उच्च न्यायालयों में उठाए गए हैं । ए. के. बालाजी बनाम भारत सरकार[48] वाले में मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था:–

> "(i) विदेशी विधि फर्म और विदेशी वकील भारत मे मुकदमे या गैर-मुकदमे के मामलों में तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जब तक वे अधिवकता अधिनियम, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परि-द् के नियमों की अपेक्षा को पूरा न करते हों,
>
> (ii) तथापि, अधिनियम या नियमों में विदेशी विधि फर्मों या विदेशी वकीलों के भारत में अपने मुवक्किलों को विदेशी विधि या उनकी अपनी विधि व्यवस्था पर और विविध अंतरा-ट्रीय विधिक मुद्दों पर विधिक सलाह देने के प्रयोजन के लिए आएं और चले जाएं के आधार पर अस्थायी अवधि के लिए भारत आने पर वर्जना नहीं है ।
>
> (iii) तथापि, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 मे पुरःस्थापित अंतरा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विदेशी वकीलों को भारत आने और अंतरा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम संबंधी संविदा से उद्भूत विवादों की बाबत माध्यस्थम कार्यवाहियां संचालित करने से विवर्जित नहीं किया जा सकता है ।
>
> (iv) अपने ग्राहकों को वर्ड-प्रोसेसिंग, सचिवीय सहायता, प्रतिलेखन सेवाएं, प्रूफ-शोधन सेवाएं, यात्रा पटल सहायता सेवाएं आदि जैसी व्यापक प्रकार की ग्राहक अपेक्षित और समेकित सेवाएं उपलबध करा

[48] तारीख 21 फरवरी, 2012 को विनिश्चित 2010 की रिट याचिका सं. 5614.

z

रही बी. पी. ओ. कंपनियां अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परि-द् के नियमों की व्याप्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं । तथापि, अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करने पर इन बी.पी. ओ. कंपनियों के विरुद्ध की गई किसी शिकायत की दशा में भारतीय विधिज्ञ परि-द् गलती करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकती है ।"

14.7 लायर्स कोलक्टिव बनाम भारतीय विधिज्ञ परि-द् और अन्य[49] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन विदेशी विधि फर्मों को भारत में अपने कारबार के स्थान (संपर्क अधिकारी) स्थापित करने के लिए प्रदान की गई अनुज्ञा को अभिखंडित कर दिया था । इस मुद्दे पर कि क्या ये विदेशी विधि फर्म केवल अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के कारण भारत में अपने संपर्क कार्यकलाप कर सकती हैं या नहीं, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 29 में "विधि व्यवसाय करने के लिए" अभिव्यक्ति मुकदमेबाजी के मामलों में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों और गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त व्यापक है । इसलिए भारत में गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में विधि व्यवसाय करने के लिए विदेशी वकील और विदेशी विधि फर्म अधिवक्ता अधिनियम में अंतर्वि-ट उपबंधों का पालन करने के लिए आबद्ध हैं ।

14.8 इसमें ऊपर निर्दि-ट निर्णय को भारतीय विधिज्ञ परि-द् बनाम ए. के. बालाजी और अन्य[50] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इजाजत दी और तारीख 4 जुलाई, 2002 को पारित अंतरिम आदेश को कायम रखा, जो निम्न प्रकार से है–

"इसी बीच, यह स्प-ट किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विधि फर्मों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अधीन भारत में अपने संपर्क कार्यालय खोलने के लिए अनुज्ञा नहीं देगा । यह भी स्प-ट किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961

[49] तारीख 16 दिसम्बर, 2009 को विनिश्चित 1995 की रिट याचिका सं. 1526.

[50] 2015 की सिविल अपील सं. 7875-7879.

z

की धारा 29 के में "विधि व्यवसाय करने के लिए" अभिव्यक्ति आक्षेपित आदेश के पैरा 63(ii) में परिकल्पित से भिन्न मुकदमेबाजी तथा गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में विधि व्यवसाय करने वाले दोनों प्रकार के व्यक्तियों को आच्छादित करती है और इसलिए भारत में गैर-मुकदमेबाजी के मामलों में विधि व्यवसाय करने के लिए विदेशी विधि फर्म, वह जिस किसी भी नाम में ज्ञात हो या वर्णित की जाए, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अंतर्वि-ट उपबंधों का पालने करने के लिए आबद्ध होगी ।"

14.9 जो गतिविधियां हुई है, उनको देखते हुए, यदि विदेशी विधि फर्मों को भारत में दस्तावेजों और माध्यस्थमों के तय करने की बातचीत में भाग लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो इससे सरकार की भारत को एक अंतरा-ट्रीय माध्यस्थम का केन्द्र बनाने की नीति पर उत्पादक-विरोधी प्रभाव पड़ सकता है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भारत के बाहर भारतीय न्यायाधीशों और वकीलों के साथ मध्यस्थ के रूप में बहुत सारे माध्यस्थम किए जाते हैं, जहां विदेशी और भारतीय विधि फर्म अपने मुवक्किलों को सलाह देते हैं । यदि विदेशी विधि फर्मों को भारत में माध्यस्थम संबधी मामले करने के लिए प्रवेश देने से इनकार किया जाता है तो इससे भारत सिंगापुर, पैरिस और लंदन में बहुत-से माध्यस्थम मामलों उसके हाथ से निकल सकते हैं । ऐसा सरकार की घोनित नीति के प्रतिकूल और रा-ट्रीय हित के विरुद्ध होगा । इस बात को तथा उच्च न्यायालयों के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग यह आवश्यक समझता है कि अधिवक्ता अधिनियम में ऐसे सामर्थ्यकारी उपबंध होने चाहिएं जो, जब भी इस बाबत कोई विनिश्चय किया जाता है विशि-ट रूप से पारस्परिकता के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी विधि फर्मों और वकीलों को भारत में मान्यता प्रदान करने और रजिस्टर करने हेतु भारतीय विधिज्ञ परि-द् को समर्थ करेंगे ।

z

अध्याय-15

अवचार को परिभा-ा करने की आवश्यकता

15.1 विधि व्यवसाय के प्रभावी विनियमन के प्रश्न के लिए एक सहायक वातावरण सृजित करने हेतु एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता है । कानून में विनायमक की शक्तियां बहुत संक्षिप्त और स्प-ट तरीके से उपबंधित हों । कानून मे प्रयुक्त शब्दों की विनिर्दि-टता ऐसा ही एक संक्षिप्त और स्प-ट तरीका है जिसमें शक्तियां और कर्तव्य विरचित हों । न तो अधिवक्ता अधिनियम में और न ही भारतीय विधिज्ञ परि-द् के नियमों में वृत्तिक अवचार को परिभाि-त किया गया है । तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने "अवचार" की अवधारणा पर प्रकाश डाला है ।

15.2 अवचार से अभिप्रेत है कोई सदो-ा कार्रवाई न कि मात्र निर्णय की गलती । कार्रवाई के कुछ सुस्थापित और निश्चित नियमों का अतिलंघन, जहां कोई विवेकाधिकार न हो । यह एक नि-िद्ध कृत्य, असावधानी, विधिविरुद्ध व्यवहार या उपेक्षा है जिसके द्वारा किसी पक्षकार का अधिकार प्रभावित हुआ हो, उदाहरणार्थ, अननुपातिक आस्ति, दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग, तत्परतापूर्वक कार्य न करना, ऐसी कार्रवाई जो संस्था की प्रति-ठा के लिए अपहानिकर हो और प्राधिकार के परे जाकर कार्य करने के अभिकथन । यह अनुचित व्यवहार या प्रबंधन का समानार्थी भी हो सकता है । यह लोक हित के लिए अपहानिकर है । अवचार का उस वि-ायवस्तु और संदर्भ के प्रति निर्देश करके अर्थान्वयन किया जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए जिसमें अंतवर्लित कानून की व्याप्ति और उद्देश्य पर विचार करते हुए यह शब्द आता है ।[51]

---

[51] ब्लैक ला डिक्शनरी, छठा संस्करण, पी. रामनाथ अय्यर की ला लेक्सिकान, पुनःप्रकाशित संस्करण 1987 पृ-ठ 821, एन. जी. दास्ताने बनाम श्रीकांत एस. शिवडे ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2028, बलदेव सिंह गांधी बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1124, जनरल मैनेजर, अपील प्राधिकरण, बैंक आफ इंडिया बनाम मो. निजामुद्दीन ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3290, रवि यशवंत भौर बनाम

z

15.3 वृत्तिक अवचार घृणित या असम्मानीय आचरण, जो संबंधित वृत्ति के लिए अनुपयुक्त हो, को निर्दि-ट करता है । विधि व्यवसाय व्यापार या कारबार नहीं है । इसलिए इसका एक असंदू-नित व्यवसाय बना रहना आवश्यक है । अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे इस व्यवसाय की सत्यनि-ठा को कायम रखें और भ्र-टाचार को हतोत्साहित करें ताकि प्रजा द्वारा विधिक रीति में न्याय प्राप्त किया जा सके ।[52] वकील को विधि व्यवसाय के सन्नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जो उसे न्यायालय के अधिकारी के योग्य बनाते हैं ।[53] न्यायपालिक की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए और ऐसा न किए जाने पर संस्था स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगी ।[54] अधिवक्ताओं द्वारा न्यायपालिका को भ्र-ट करने के कार्यों में आसक्त होना या न्यायाधीशों को रिश्वत देने की पेशकश करना[55], नि-पादन कार्यवाहियों के पश्चात् भी डिक्री धारक के लिए अधिवक्ता के पास जमा किए गए धन को प्रतिधारित करना[56], न्यायाधीशों को विक्षुब्ध करना[57], मामलों के संचालन से निरन्तर गैर-हाजिर रहना[58], संदत्त रकम का दुर्विनियोजन[59], कुटरचित शपथपत्र को प्रमाणित करना[60], ब्रीफ स्वीकार करने के पश्चात् विचारण में हाजिर न होना[61], न्यायाधीश के नाम पर

जिला कलेक्टर, रायगढ़ ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1339 और विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2840.

[52] शंभू राम यादव बनाम हनुमान दास खत्री ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2509.

[53] नरोत्तम चौररिया बनाम एम. आर. मुरली और एक अन्य, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2440.

[54] विनय चंद मिश्रा वाला मामला, ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 2348.

[55] शंभू राम यादव (उपरोक्त)

[56] प्रहलाद सरण गुप्ता बनाम भारतीय विधिज्ञ परि-द्, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1338.

[57] डा. डी. सी. सक्सेना बनाम भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2481.

[58] डी. एस. दलाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक, ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1608 और जे. एस. जाधव बनाम मुस्तफा हाजी मोहम्मद युसुफ, ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1955.

[59] एम. वीरभद्र राव बनाम टेक चंद, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 28.

[60] एस. जे. चौधरी बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 28.

[61] चंद्र शेखरसोनी बनाम राजस्थान विधिज्ञ परि-द, ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1012.

z

मुवक्किल से धन लेना[62], नैतिक अधमता से अंतवर्लित घोर उपेक्षा[63], अशि-ट प्रतिपरीक्षा[64], न्यास भंग[65], अधिवक्ताओं द्वारा कपट और कूटरचना करना उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर अवचार अभिनिधारित किया गया है ।

15.4 उपरोक्त विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग ने विचार किया है और उसके द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन विधेयक में ''वृत्तिक अवचार'' की परिभा-ा उपबंधित की है ।

---

[62] पी एक अधिवक्ता वाला मामला, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1313, और वी. पी. कुमारवेलू बनाम भारतीय विधिज्ञ परि-द, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1014.

[63] शिव नारायण जफा बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 368.

[64] बापूराव पाखिडे बनाम सुमन डोंडे, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 916.

[65] एल. सी. गोयल बनाम नवल किशोर, (1997) 11 एस. सी. सी. 258 और देवेन्द्र भाई शंकर मेहता बनाम रमेश चंद्र विठल दास सेठ, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1338, डा. एल्बे पीटर, एमडीएस, एलएलबी, डीसीआर, भारत मे वकीलों का वृत्तिक अवचार वाला मामला भी देखें 1

z

अध्याय-16

यूनाइटेड किंगडम में विधि व्यवसाय के विनियमन के ढांचे की सुसंगतता

16.1 सांविधानिक मामले विभाग (यू. के. सरकार) ने कम्पीटीशन एंड रेगुलेशन इन दि लीगल सर्विसेज मार्किट[66] शी-र्क नामक रिपोर्ट के आधार पर व-र् 2002[67] में विधि व्यवसाय के विनियामक ढांचे का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यह नि-क-र् निकाला कि इंग्लैड और वेल्स में विधिक सेवाओं का विनियामक ढांचा पुराना, अनम्य, अति जटील और अपर्याप्त रूप से जवाबदेह या पारदर्शी है ।[68] परिणामस्वरूप, सर डेविड क्लेमेंटी को तारीख 24 जुलाई, 2003 को इंग्लैंड और वेल्स में विधिक सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे के पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित निर्देश-निबंधनों के साथ नियुक्त किया गया :

* इस बात पर विचार करना कि प्रतिस्पर्धा, नवीनता और लोक तथा उपभोक्ता हित का दक्ष, प्रभावी और स्वतंत्र विधिक सेक्टर के रूप में सर्वोत्तम संवर्धन क्या विनियामक ढांचा करेगा ।

* एक ऐसे ढांचे की सिफारिश करना जो लोक और उपभोक्ता हित का प्रतिनिधित्व करने में स्वतंत्र, व्यापक, जवाबदेह, संगत, नम्य, पारदर्शी होगा और उतने से अधिक निर्बंधनकारी या बौझिल नहीं होगा जितना स्प-ट रूप से न्यायोचित हो ।[69]

---

[66] लोक हित में ?, पेशे में प्रतिस्पर्धा पर फेयर ट्रेडिंग रिपोर्ट के कार्यालय का अनुसरण करते हुए एक परामर्श, लार्ड चासंलर के विभाग का परामर्शी पत्र, जुलाई 2002.

[67] जुलाई, 2003 में लोक हित में परामर्श पर रिपोर्ट का अनुसरण । http://webarchiv.natioalarchives.gov.uk/+http://www.dca.gov..uk/Consult/general/oftrepteonc.htm(3 नवम्बर 2016 को अंतिम बार अवधारित)

[68] पूर्वोक्त

[69] सर डेविट क्लेमेंटी, रिव्यू आफ दि रेगूलेटरी फ्रेमवर्क फार लीगल सर्विसेज इन इंग्लैंड एंड वेल्स फाइनल रिपोर्ट (क्लेमेंटी रिपोर्ट) पृ-ठ 1 पर प्राक्कथन ।

z

16.2 क्लेमेंटी की रिपोर्ट और उसमें की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, विधिक सेवा अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें आगे अधिनियम, 2007 कहा गया है) प्रवृत्त हुआ जिसने इंग्लैड और वेल्स में विधिक सेवाओं के लिए बाजार को उदार बनाया और विनियमित किया जिससे कि और अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिल सके और उपभोक्ता शिकायतों को एक नया मार्ग उपलब्ध हो सके । तदनुसार, अधिनियम, 2007[70] के अधीन एक स्वतंत्र कानूनी निकाय स्थापित किया गया जो कि इंग्लैंड और वेल्स में विधिक विनियामकों पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी है । यह सरकार और विधिक वृत्ति से स्वतंत्र है और अधिनियम, 2007 में 'अनुमोदित विनायमक'[71] के रूप में नामित अलग-अलग आठ निकायों के लिए पर्यवेक्षण विनियामक है ।

16.3 अधिनियम, 2007 अन्य प्रकार के विधि व्यवसायियों जैसे विधिक एग्जीक्यूटिव, अनुज्ञप्तिधारी अभिहस्तान्तरकों, पेटेंट अटर्नियों, व्यापार चिह्न अटर्नियों, लॉ कोस्ट ड्राफ्समेन तथा नोटरियों से भी संबंधित है । वर्तमान प्रयोजनों के लिए, केवल सालिसीटरों और बैरिस्टरों के लिए विनियामक क्रिया-विधियों का विश्ले-ण किया गया है ।

16.4 अधिनियम, 2007 के अधिनियमन से यूनाइटेड किंगडम में विधि वृत्ति के विनियमन ने एक नए युग में प्रवेश किया है, जिसने 'स्व-विनियमन' की कमियों की पहचान की है और उपभोक्ताओं के हितों की ओर उसका ध्यान केंद्रित किया है । बाह्य प्रभावों से (विशे-न रूप से सरकार) विधिक वृत्ति की स्वतंत्रता तथा एक ऐसे विनियामक ढांचे की मांग, जो लोक और उपभोक्ता हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र हो, की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक पर्यवेक्षण निकाय (विधिक सेवा बोर्ड (लीगल सर्विस बोर्ड-संक्षेप में एलएसबी) अग्रिम पंक्ति के विनियामकों (जो अपने स्वयं के पेशवरों का विनियमन करने के लिए उत्तरदायी हैं) के सतत् पर्यवेक्षण के लिए सृजित किया गया है । एक स्वतंत्र कानूनी निकाय होने के कारण अधिनियम, 2007 के उपबंधों में यह सुनिश्चित किया गया है कि संपूर्ण बोर्ड बहुसंख्या में व्यवसाय के सदस्यों से मिलकर बनेगा और

---

[70] लीगल सर्विसेज ऐक्ट, 2007 की धारा 2.

[71] लीगल सर्विसेज ऐक्ट, 2007 की धारा 20, अनुसूची 4 के भाग 1 या अनुसूची के भाग 2 द्वारा (या दोनों द्वारा) अनुमोदित विनियामक के रूप मे निकाय ।

z

यह आज्ञापक बनाया गया है कि उसका जो अध्यक्ष होगा वह भी व्यवसाय से होगा । उपभोक्ता हितों की संरक्षा के लिए एलएसबी का एक स्वतंत्र अंग, जैसे की उपभोक्ता पैनल, स्थापित किया गया है जो एलएसबी के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है ताकि उसकी ऐसे विनिश्चय करने में सहायता कर सके जिन्हें उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके ।

16.5 सालीसिटरों और बैरिस्टरों के लिए अग्रिम पंक्ति के विनियामकों के कार्यों की बाबत यह आवश्यक बनाया गया है कि प्रतिनिधित्व और विनियामक कार्य अलग-अलग और सुभिन्न हों । इसी प्रयोजन के लिए, लॉ सोसाइटी सालिसीटरों के लिए एक प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करती है, जबकि सालिसीटर विनियामक प्राधिकरण (सालिसीटर रेगूलेशन अथारिटी-संक्षेप मे एसआरए) विनियामक कार्यों का निर्वहन करता है । लॉ सोसाइटी के स्वतंत्र अंग के रूप में कार्य करते हुए, एसआरए के बोर्ड के गठन को तनुकृत किया गया है जिसमें 15 सदस्यों में से 7 सदस्य सालिसीटर होते हैं और शे-ा 8 सदस्य साधारण व्यक्ति होते हैं जिनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । यह गठन समावेशी प्रकृति का है जिसमें बोर्ड के गठन में तनुकरण के माध्यम से वकीलों के विरुद्ध वकीलों द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विनिर्दि-ट समस्याएं नहीं आती। यही सिद्धांत सालिसीटर अनुशासनिक अभिकरण के वि-ाय में भी लागू किया गया है जिसके गठन में सालिसीटर सदस्य तथा ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो न तो सालिसीटर होते हैं और न ही बैरिस्टर । ऐसा ही गठन बैरिस्टरों के विनियमन के लिए विद्यमान है जिसमें विधिज्ञ परि-ाद् प्रतिनिधिक कार्यों का ध्यान रखती है और बार स्टेंडर्ड बोर्ड वृत्तिक अवचार समिति और अनुशासनिक अधिकरणों के साथ अधनियम, 2007 मे विहित कार्यों का निर्वहन करता है । वृत्तिक अवचार समिति में विधि व्यवसायरत बैरिस्टरों के साथ-साथ साधारण सदस्यों के एकसमान अनुपात को सुनिश्चित किया जाता है जिसके द्वारा साधारण सदस्य का बहुमत होना आज्ञापक है । बैरिस्टरों के लिए अनुशासनिक अधिकरण के संबंध में, एक बैरिस्टर (सात व-ार्ा से अन्यून का अनुभव रखने वाला) की मौजूदगी के साथ-साथ एक न्यायाधीश (अध्यक्ष के रूप में) और कम से कम एक साधारण सदस्य की मौजूदगी आज्ञापक है ।

z

16.6 यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत में विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग ने विधि व्यवसायी (विनियमन और वृत्ति में मानकों का अनुरक्षण, मुवक्किलों के हित की संरक्षा और विधि के शासन का संवर्धन) विधेयक, 2010 नामक एक प्रारूप विधेयक लाया था जिसका आशय यू. के. में लीगल सर्विस बोर्ड के अनुसार ही भारतीय स्थिति के उपयुक्त एक लीगल सर्विस बोर्ड स्थापित करना था । तथापि, इस प्रारूप विधेयक पर आगे किसी प्रगति के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

z

अध्याय-17

विनियामक क्रिया-विधि का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता

7.1 विधिक वृत्ति के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसके जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अंतर्वलित होने के कारण अधिवक्ता अधिनियम की विनियामक क्रियाविधि का न केवल अधिवक्ताओं के अनुशासन और अवचार के वि-नय में अपितु अन्य क्षेत्रों में भी पुनर्विलोकन करने की अत्यंत आवश्यकता है । विधिज्ञ परि-नदों के कार्य को उनके आंतरिक मामलों में भी समेकित करने के लिए विधिज्ञ परि-नदों के गठन और उनके कार्यों में कुछ उपबंधों को सम्मिलित करने की भी आवश्यकता है । विधिक वृत्ति के वैश्वीकरण ने विदेशी वकीलों और विदेशी विधि फर्मों की भारतीय विधिक व्यवस्था में सहभागीदारी के मुद्दे को उत्पन्न कर दिया है ।

17.2 भारतीय विधिज्ञ परि-नद् द्वारा अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा नियम, 2010, विधि व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र और नवीनीकरण नियम, 2014 (जो अब निरसित हो गए हैं) तथा प्रमाणपत्र और विधि व्यवसाय का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 सृजित करने के बावजूद यह स्प-ट हो गया है कि यह मूलभूत कार्य उचित रूप से पूरा नहीं किया गया है । यह बोधगम्य है कि भारत में वकीलों का अनुचित रूप से संगठित समूह है, देश में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या की गिनती रखने तक में विधिज्ञ परि-नदों की असमर्थता इन प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता का सूचक है ।

विनियामक निकाय

z

17.3 भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् की शासी निकाय की तुलना भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारत की चिकित्सा परि-ाद् (एमसीआई), वास्तुविद् परि-ाद् (सीओए) आदि जैसी अन्य संस्थाओं के साथ करना प्रासंगिक होगा । एमसीआई की स्थिति यह है कि इसमें पेशवेरों में से 17 निर्वाचित प्रतिनिधि, 53 शैक्षणिक संस्थाओं से निर्वाचित, 34 केन्द्रीय सरकार के नामनिर्देशिती कुल 104 सदस्य हैं । वास्तुविद् परि-ाद् में 5 पेशेवरों में से निर्वाचित प्रतिनिधि, 5 शैक्षणिक संस्थाओं से निर्वाचित सदस्य, 1 केन्द्रीय सरकार का नामनिर्देशिती और 35 राज्य सरकारों के नामनिर्देशिती हैं । इसमें 5 अन्य नामनिर्देशिति और 2 पदेन सदस्य (केन्द्रीय सरकार से) भी हैं । इस प्रकार, उनकी कुल संख्या 53 है ।

17.4 जहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 का संबंध है, इसमें यह उपबंधित है कि संस्थान की परि-ाद् में संस्थान के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 32 व्यक्तियों से अनधिक नहीं होंगे और 8 व्यक्तियों से अनधिक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

17.5 हाल ही में, भारतीय विधि संस्थान की शासी परि-ाद् के गठन में तारीख 8 दिसम्बर, 2016 के विनिश्चय द्वारा परिवर्तन किया गया और शासी निकाय के सदस्यों की संख्या घटाकर लगभग आधी कर दी गई और शासी निकाय के सभी सदस्य या तो नामनिर्देशित किए जाएंगे या पदेन सदस्य होंगे । परि-ाद् में एक भी निर्वाचित व्यक्ति नहीं है ।

17.6 इस प्रकार, उपरोक्त से यह नि-कर्-ा निकाला जा सकता है कि निकाय का अवधारण चार मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए :

(1) निर्वाचित-से-नामनिर्देशित सदस्य के अनुपात का अवधारण इस आधार पर होना चाहिए कि क्या विधि व्यवसाय से निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपने सहयोगियों के साथ अत्यधिक पक्षपात के बिना कार्य करने की प्रत्याशा की जा सकती है । यदि विविध

z

प्रकार के निकायों, सरकारी या तकनीकी, को सम्मिलित करने और उनका प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है तो बहुसंख्या में नामनिर्देशित सदस्य हो सकते हैं । तथापि, जहां लोक हित के ऐसे अनिवार्य प्रश्न हों जिन्हें विधि व्यवसाय के सदस्यों पर ही न छोड़ा जा सकता हो, वहां अनुपात में कम से कम पर्याप्त नामनिर्देशिती होने चाहिएं ।

(2) पेशेवर-से-सामान्य सदस्य अनुपात इसी मापदंड के आधार पर किंतु मुवक्किल कल्याण और समवर्गी क्षेत्रों के साथ पारस्परिक क्रिया की ओर अधिक बल तथा लोक निकायों के प्रतिनिधित्व पर कम बल देते हुए अवधारित किया जाना चाहिए ।

(3) निर्वाचकों और नामनिर्देशकों की पहचान किसी विनियामक पर समूहों और निकायों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण की सीमा अवधारित करती है । नामनिर्देशन प्रत्यक्ष नियंत्रण को उपदर्शित करता है और निर्वाचन विस्तृत और अप्रत्यक्ष नियंत्रण को उपदर्शित करता है । अच्छी परिपाटी यह होगी कि आंचलिक और तकनीकी ज्ञान आधारित विभिन्नता को स्थान देने के लिए सभी समूहों में सीटों को आर-पार विभाजित कर दिया जाए और निकायों में सीटों का विभाजन कर दिया दिया ताकि प्रत्येक निकाय की बात सुनी जा सके किंतु पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग न करती हो । इसके लिए, उन सभी समूहों की पहचान करना आवश्यक है जिनका विनियामक निकाय में प्रतिनिधित्व हो और ऐसे सभी निकाय, जिन्हें निकाय पर नियंत्रण में हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता हो ।

(4) जहां विनियामक निकाय में किसी विशि-ट लोक कार्यालय या विभाग को अवश्य प्रतिनिधित्व दिया जाए, वहां उन्हें पदेन-सदस्य नियुक्त करने के लिए उपबंध किया जाए । तथापि, पद-धारक को नियुक्त करने वाले निकाय को उस पद की स्वतंत्रता

z

पर निर्भर करते हुए फिर विनायमक के विनिश्चयों में महत्व मिल सकता है ।

17.7 आयोग का यह मत है कि नामनिर्देशित/सहयोजित सदस्यों को सभी कार्यवाहियों में भाग लेने और परि-द् के पदधारियों को हटाने के मुद्दे के सिवाए उनमें मतदान करने का अधिकार रहेगा ।

17.8 इसके अतिरिक्त, विनियामक क्रिया-विधि के वि-नय में, ताल्लुका के स्तर से लेकर सर्वोच्च निकायों तक विधिज्ञ संगमों (बार एसोसिएशन) की हो रही त्वरित वृद्धि पर रोक लगाने के लिए भी एक विनियामक क्रिया-विधि (तंत्र) की आवश्यकता है जिसमें विधिज्ञ परि-द् द्वारा उनकी पहचान करना और उन पर नियंत्रण रखना भी सम्मिलित है । इस कार्य पर बल स्प-ट तौर पर न केवल अधिवक्ताओं पर नियंत्रण करने के लिए अपितु विधिज्ञ संगमों (बार एसोसिएशनों) के ऐसे सामुहिक कार्यों पर भी नियंत्रण करने के लिए दिया जाना आवश्यक है जिनका स्थानीय के साथ-साथ ऐसे रा-ट्रव्यापी मुद्दों पर प्रभाव पड़ता है जिनका सरोकार न्यायालय की कार्यवाहियों से और कार्यकलापों के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले वकीलों के संगठन से भी होता है । इस दिशा में, दंड के उपायों, अन्य प्रकार के अवचारों का समावेशन और प्रभावी क्रिया-विधि के साथ सुधारात्मक और भयोपरतकारी दोनों प्रकार का अनुशासनिक नियंत्रण समावि-ट किया जाना चाहिए । यह इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि वर्तमान में मौजूद विधि समुचित सशक्तिकरण के अभाव में धीरे-धीरे प्रभाव खोती जा रही है । वृत्तिक नैतिकता और व्यवहार के मानकों, वकीलों का प्रशिक्षण और सतत विधि शिक्षा के पहलू भी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर गहनता से विचार किया जाना आवश्यक है ।

17.9 उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग ने विशि-ट रूप से भारतीय विधिज्ञ परि-द् को अपने सुझाव देने के लिए कहा तथा समस्त देश से पणधारियों से सुझाव प्राप्त होने पर आयोग

z

ने उन सुझावों पर यह विचार-विमर्श किया कि अधिवक्ता अधिनियम में सुधार करने की प्रस्थापना करना आवश्यक हो गया है ।

17.10 अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि अधिवक्ता अधिनियम में न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को अपितु ऐसी अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए जो विधि वृत्ति के बेहतर प्रबंधन और विनियमन के लिए भवि-य में उद्भूत हो सकती हैं, व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए । विधि आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2017 केंद्रीय सरकार के विचार के लिए रिपोर्ट के साथ उपाबंध-3 के रूप में सलंग्न है ।

हस्ता/
(न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान)
अध्यक्ष

हस्ता/
(न्यायमूर्ति रवि आर. त्रिपाठी)
सदस्य

हस्ता/
[प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार]
सदस्य

हस्ता/
(डा. संजय सिंह)
सदस्य-सचिव

हस्ता/
(सुरेश चंद्रा)
पदेन सदस्य

हस्ता/
(डा. जी. नारायणराजू)
पदेन सदस्य

z

उपाबंध-1

मनन कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
ज्ये-ठ अधिवक्ता

दूरभा-ा 011-49225000
फेक्स 011-49225011

भारतीय विधिज्ञ परि-ाद्
BAR COUNCIL OF INDIA

(अधवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित सांविधिक निकाय)
21, राउज एवेन्यू, इंस्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002

बीसीआईडी/315/2017(एडवाइजरी कमेटी)
तारीख 10.3.2017

सेवा में

माननीय न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान,
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग,
14वीं मंजिल, हिन्दुस्तान टाइम हाउस,
के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.

वि-नय- भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् की सलाहाकार समिति द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में सुझाए गए संशोधन ।

भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् की सलाहाकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर परि-ाद् द्वारा अपनी तारीख 28 फरवरी, 2017 और 01 मार्च, 2017 को हुई बैठक में सम्यक् रूप से विचार किया गया है । इन सुझावों को आपके परिशीलन और विचार के लिए इसके साथ प्रेि-त किया जा रहा है । जहां तक कारपोरेट विधि फर्मों और ऐसी अन्य विधि फर्मों जो भारतीय विधिज्ञ परि-ाद् द्वारा विनियमित की जानी हैं तथा इस क्षेत्र में विदेशी फर्मों के प्रवेश

z

का संबंध है, समिति का यह मत है कि मामले के महत्व और गंभीरता को देखते हुए तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 47 को ध्यान में रखते हुए इस वि-नय पर गहराई से विचार-विमर्श और विचार करने की आवश्यकता है ।

इस प्रकार उपरोक्त को दृ-टिगत करते हुए, उपुर्यक्त मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार समिति की दो या अधिक बैंठकें किए जाने की आवश्यकता है ।

उपरोक्त मुद्दे की बाबत मामले को अंतिम रूप देने के पश्चात्, परि-द् आपको निश्चित रूप से इस वि-नय के संबंध में अति शीघ्र सुझाव भेजेगी । हमारा आपसे अनुरोध है कि कुछ समय के लिए हमारे साथ सहयोग करें ।

आपका,
हस्ता/
(मनन कुमार मिश्रा)

संलग्न- यथा उपरोक्त

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में सुझाए गए संशोधन

धारा	वर्तमान अधिनियम	प्रस्तावित संशोधन
1.	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ
2.	कोई उपबंध/खंड नहीं	(ण) ''अवचार'' से अभिप्रेत और इसके अतंर्गत किसी विधिक व्यवसायी का ऐसा कृत्य आता है जिसका आचरण अधिनियम की धारा 49(1) के अधीन विरचित नियमों द्वारा विहित वृत्तिक आचरण के मानक या शि-टाचार के पालन के भंग या अभाव में पाया जाता है या उसका आचरण अधिनियम की धारा 24क के अधीन एक निर्हरता है । (प) **निर्वाचक-मंडल से अभिप्रेत और इसमें समावि-ट हैं-** (क) सभी राज्य विधिज्ञ परि-दों के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती सदस्य; और (ख) निर्चाचक-मंडल का सदस्य होने के लिए प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परि-द् द्वारा चयनित एक सदस्य ।
3	**राज्य विधिज्ञ परि-द्**	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ

z

(1)	कोई परिवर्तन नहीं	
3(2)	(क) कोई परिवर्तन नहीं (ख) पांच हजार से अनधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में, **पन्द्रह सदस्य**, पांच हजार से अधिक किंतु दस हजार से अनधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में **बीस सदस्य**, और दस हजार से अधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में पच्चीस **सदस्य**, जो राज्य विधिज्ञ परि-नद् की निर्वाचक नामावली के अधिवक्ताओं में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित हों ।	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ (ख) पांच हजार से अनधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में, **ग्यारह सदस्य**, पांच हजार से अधिक किंतु दस हजार से अनधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में **पंद्रह सदस्य**, और दस हजार से अधिक के निर्वाचक मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में **इक्कीस सदस्य**, जो राज्य विधिज्ञ परि-नद् की निर्वाचक नामावली के अधिवक्ताओं में से सुसंगत नियमों के अधीन **अधिवक्ताओं के प्रमाणपत्रों और व्यवसाय के स्थान के सत्यापन की प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित हों ।**

z

	कोई उपबंध/खंड नहीं	**(ग) ज्ये-ठ और अनुभवी सदस्यों का सहयोजन** प्रत्येक विधिज्ञ परि-द् में, निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त, विधिज्ञ (बार) से कम से कम 35 व-र् के विधि व्यवसाय वाले तीन नामनिर्देशित ज्ये-ठ अधिवक्ताओं और ऐसे ज्ये-ठ अधिवक्ताओं की अन-उपलब्धता की दशा में कम से कम 35 व-र् का अनुभव रखने वाले तीन अधिवक्ताओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचनों के परिणाम की घों-णा के ठीक पश्चात् किंतु पदाधिकारियों के निर्वाचनों के पूर्व, सहयोजित किया जाएगा । सहयोजन के वि-नय में यदि निर्वाचित सदस्यों के बीच सर्वसम्मति नहीं है, तो सहयोजन सदस्यों के बहुमत के विनिश्चय द्वारा किया जाएगा ।

z

धारा 3(2)(ख) का परंतुक	परंतु ऐसे निर्वाचित सदस्यों में से यथासंभव आधे के निकट सदस्य, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी राज्य नामावली में **कम से कम दस व-र्** तक अधिवक्ता रहे हों और ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में दस व-र् की उक्त अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परि-द् अधिनियम, 1926 (1926 का 38) के अधीन नामांकित अधिवक्ता रहा हो ।	परंतु ऐसे निर्वाचित सदस्यों में से यथासंभव आधे के निकट सदस्य, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी राज्य नामावली में **कम से कम बीस व-र्** तक अधिवक्ता रहे हों **और जो सत्यापन नियमों के अनुसार विधि व्यवसाय में हों ।** **टिप्पण- सत्यापन नियमों से अभिप्रेत भारतीय विधिज्ञ परि-द् का प्रमाणपत्र और विधि व्यवसाय का स्थान (सत्यापन) नियम 2015 और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधन हैं ।**
3(3)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ
3(4)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ
3(5)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ

z

3(6)	उपधारा (2) के खंड (ख) की कोई भी बात, अधिवक्ता (संशोधन अधिनियम, 1973 (1973 का 60) के प्रारंभ के ठीक पूर्व गठित किसी राज्य विधिज्ञ परि-नद् में निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी जब तक वह राज्य विधिक परि-नद् इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित नहीं की जाती।	उपधारा (2) के खंड (ख) की कोई भी बात, इस संशोधन के प्रारंभ के ठीक पूर्व गठित किसी राज्य विधिज्ञ परि-नद् में निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी **जब तक वह राज्य विधिक परि-नद् 2017 के इस संशोधन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित नहीं की जाती** ।
4 (1)	**भारतीय विधिज्ञ परि-नद्** (क) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ
	(ख) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ
	(ग) प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परि-नद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित एक सदस्य ।	(ग) प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परि-नद् द्वारा अपने सदस्यों में से विधिज्ञ में 35 व-र्षों का अनुभव रखने वाला एक सदस्य । **परंतु जहां किसी विधिज्ञ परि-नद् में दर्ज अधिवक्ताओं की संख्या पांच सौ से कम है, वहां ऐसे निकटवर्ती राज्य विधिज्ञ परि-नदों के तीन से अनधिक विधिज्ञ परि-नदों का समूह बनाया जाएगा और ऐसे समूह से भारतीय विधिज्ञ परि-नद् में प्रतिनिधित्व उस समूह के विधिज्ञ परि-नदों में से**

z

		चक्रानुक्रम द्वारा भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा इस निमित्त विहित नियमों के अनुसार किया जाएगा ।
	कोई उपबंध/खंड नहीं	(घ) खंड 1 में विनिर्दि-ट सदस्यों द्वारा तीन सदस्य निम्नलिखित रीति में सहयोजित किए जाएंगे- (i) ऐसे दो ज्ये-ठ अधिवक्ता, जिनके नाम कम से कम 35 व-र्षों से किसी राज्य नामावली में रहे हैं । परंतु 35 व-र्ष की अवस्थिति वाले ज्ये-ठ अधिवक्ताओं की अन-उपलब्धता की दशा में, कमतर अवधि के विधि व्यवसाय वाले ज्ये-ठ अधिवक्ताओं को भारतीय विधिज्ञ परि-द् के नियमों में विहित अनुसार सहयोजित किया जाएगा । (ii) एक ज्ये-ठ अधिवक्ता, जिसका नाम कम से कम 35 व-र्षों से किसी राज्य नामावली में दर्ज रहा है और भारतीय विधिज्ञ परि-द् के सदस्य के रूप में कम से कम पांच व-र्षों का अनुभव है । परंतु जहां भारतीय विधिज्ञ परि-द् के सदस्य के रूप में पांच व-र्ष का अनुभव रखने वाले ऐसे एक से अधिक ज्ये-ठ अधिवक्ता उपलब्ध हैं, तब

z

		भारतीय विधिज्ञ परि-द् के सदस्य के रूप में अधिक अनुभव रखने वाले ज्ये-ठ अधिवक्ता को सहयोजित किया जाएगा । परंतु यह भी कि जहां भारतीय विधिज्ञ परि-द् के सदस्य के रूप में पांच व-र्षों का अनुभव रखने वाला कोई ज्ये-ठ अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, वहां भारतीय विधिज्ञ परि-द् के सदस्य के रूप में पांच व-र्ष के अनुभव के साथ-साथ 35 व-र्षों से विधि व्यवसाय में कार्यरत किसी अन्य अधिवक्ता को सहयोजित किया जाएगा । सहयोजन के मामले में, निर्वाचित सदस्यों के बीच सर्वसम्मति के अभाव में, सहयोजन सदस्यों के बहुमत के विनिश्चय द्वारा किया जाएगा । इस उपधारा के खंड (घ) और 1 में वर्णित भारतीय विधिज्ञ परि-द् के सदस्यों की पदावधि ऐसे सदस्यों के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से छह व-र्ष की होगी । भारतीय विधिज्ञ परि-द् अपने सदस्यों को खंड (घ) के अधीन सहयोजित करेगी और इस 2017 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर इस उपधारा के खंड 1 के अधीन निर्वाचन कराएगी । (ड.) एक ऐसे सदस्य को, जिसका नाम लगभग 35 व-र्षों से राज्य

z

		नामावली में रहा है और जो कम से कम पांच वर्ष भारतीय विधिज्ञ परिषद् का सदस्य रहा है, निर्वाचक मंडल द्वारा सहयोजित किया जाएगा । परंतु जहां भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के रूप में पांच वर्ष के अनुभव वाले ऐसे एक से अधिक अधिवक्ता उपलब्ध हैं, तब उनमें से ज्येष्ठ को सहयोजित किया जाएगा । ऐसे सदस्य का सहयोजन इस बाबत नियमों में उपबंधित अनुसार किया जाएगा ।
4(1क)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ
4(2)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ
4(2क)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ । किंतु संशोधन अधिनियम, 1977 के स्थान पर संशोधन अधिनियम, 2017 प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
धारा 4(2क) का परंतुक	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ । किंतु संशोधन अधिनियम, 1977 के स्थान पर संशोधन अधिनियम, 2017 प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
4(3)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

5	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
6 (1)	**राज्य विधिज्ञ परि-दों के कृत्य** (क) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ख) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ग) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(घ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(घघ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ड.) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ड.ड.) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ड.ड.ड.) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(च) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(छ) कोई परिवर्तन नहीं	भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा इस बाबत बनाए गए नियमों के अधीन इसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए व्यवस्था करना ।

z

	(छछ) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों में जाना एवं निरीक्षण करना,	(छछ) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार विधि शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों **और संस्थाओं** में जाना एवं निरीक्षण करना**;**
	(ज) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(झ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	कोई उपबंध/खंड नहीं	**(ञ) अनिवार्य सतत विधिक शिक्षा का संचालन प्रत्यक्ष रूप से या विधिज्ञ संगमों, भारतीय विधिज्ञ परि-द् न्यास, राज्य विधिज्ञ परि-दों, वकीलों की सहकारिता और भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा मान्यताप्राप्त विख्यात किसी संस्था के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, करना ।**
6(2)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
6(3)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
7 (1)	**भारतीय विधिज्ञ परि-द् के कृत्य** (ख)	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

	(ग) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(घ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ड.) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(च) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(छ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ज) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(झ) ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, जिनकी विधि की उपाधि अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए अर्हता होगी और उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों में जाना और उनका निरीक्षण करना या राज्य विधिज्ञ परि-दों को ऐसे निदेशों के अनुसार जो वह इस निमित्त दे, विश्वविद्यालयों में जाने देना और	(झ) **विधि शिक्षा प्रदान करने वाले** ऐसे विश्वविद्यालयों **और संस्थाओं** को मान्यता देना, जिनकी विधि की उपाधि अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए अर्हता होगी और उस प्रयोजन के लिए **विधि शिक्षा प्रदान करने वाले** विश्वविद्यालयों **और संस्थाओं** में जाना और उनका निरीक्षण करना या राज्य विधिज्ञ परि-दों को ऐसे निदेशों के अनुसार जो वह इस निमित्त दे, **विधि शिक्षा प्रदान करने वाले** विश्वविद्यालयों **और संस्थाओं** में जाने देना और उनका निरीक्षण करना;

z

	उनका निरीक्षण करना;	
	(झक)	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(झग)	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(झघ)	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ञ)	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ट)	अपने सदस्यों के निर्वाचन के लिए व्यवस्था करना और राज्य विधिज्ञ परि-दों और भारतीय विधिज्ञ परि-द् में सदस्यों को सहयोजित करना
	(ठ)	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ड)	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	कोई उपबंध/खंड नहीं	(ढ) ऐसे व्यक्ति को, जिसने विधि के ऐसे पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त की है जो अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने के लिए

z

		अर्हता के रूप में मान्यताप्राप्त है, एक वर्ष की अवधि के लिए नामांकन-पूर्व प्रशिक्षण और शिक्षुता के लिए व्यवस्था करना । (ण) अधिवक्ताओं के प्रमाणपत्रों या विधि व्यवसाय के स्थानों का प्रत्यक्ष तौर पर या राज्य विधिज्ञ परिषद् के द्वारा सत्यापन करने के लिए व्यवस्था करना । (त) किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् में अधिवक्ता के रूप में व्यक्तियों का नामांकन करने के लिए शर्तें विहित करना, जिसके अंतर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा आयोजित ऐसी अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा उतीर्ण करना भी है, जो नियमों द्वारा विहित की जाए । (थ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास, इसके द्वारा मान्यताप्राप्त किसी सोसाइटी या संगम के द्वारा और जैसा मार्गदर्शक सिद्धांतों/नियमों द्वारा विहित किया जाए, अनिवार्य सतत विधि शिक्षा के संचालन और मानीटर करने के लिए व्यवस्था करना । (द) भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषद के किसी निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन-विवादों का निपटारा करने के लिए क्रिया-विधि का उपबंध करना । (ध) देश में विधि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में दाखिले के लिए

z

		सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए व्यवस्था करना । (न) भारतीय और विदेशी विधि फर्मों को रजिस्टर करना और ऐसी फर्मों को विनियमित करना । (ट) रजिस्ट्रीकृत विदेश अधिवक्ताओं को विनियमित करना और उसके द्वारा विहित नियमों के अधीन भारत मे विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात करना । (ठ) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर संचालित विधिज्ञ संगमों या अन्य संगमों, सोसाइटियों, अधिवक्ताओं के न्यासों को रजिस्ट्रीकृत और विनियमित करना । (ढ) राज्य विधिज्ञ परि-द की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संचालित विधि फर्मों, सीमित दायित्व भागीदारियों को रजिस्टर और विनियमित करना ।
7(3)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

7(4)	कोई उपबंध/खंड नहीं	इस धारा में वर्णित कृत्य करने में सहायता करने के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का सृजन कर सकेगी या मान्यता दे सकेगी ।
7क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
8	राज्य विधिज्ञ परि-नद के सदस्यों की पदावधि- राज्य विधिज्ञ परि-नद् के (धारा 54 मे निर्दि-ट उसके निर्वाचित सदस्य से भिन्न्) किसी निर्वाचित सदस्य की पदावधि उसके निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से **पांच व-र्** की होगी ।	राज्य विधिज्ञ परि-नद के सदस्यों की पदावधि- राज्य विधिज्ञ परि-नद् के (धारा 54 मे निर्दि-ट उसके निर्वाचित सदस्य से भिन्न्) किसी निर्वाचित सदस्य की पदावधि उसके निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से **छह व-र्** की होगी ।
8क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
9(1)	विधिज्ञ परि-नद् एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी । प्रत्येक ऐसी समिति तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी । इसमें दो परि-नद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति होंगे और तीसरा परि-नद् द्वारा	**भारतीय विधिज्ञ परि-नद् और राज्य विधिज्ञ परि-नद् द्वारा अनुशासन समितियों का गठन-** **भारतीय विधिज्ञ परि-नद् की दशा में-**

z

	ऐसे अधिवक्ताओं में से सहयोजित व्यक्ति होगा जिसके पास धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक मे विनिर्दि-ट अर्हताएं हों और जो परि-द् का सदस्य न हो । किसी अनुशासन समिति के सदस्यों में से ज्ये-ठतम अधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा ।	(क) समिति तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा जो समिति का अध्यक्ष होगा, एक सदस्य परि-द् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा और एक अधिवक्ता या ज्ये-ठ अधिवक्ता को परि-द् द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा । राज्य विधिज्ञ परि-द् की दशा में- (ख) समिति तीन सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसमें एक सदस्य सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होगा जो समिति का अध्यक्ष होगा, एक सदस्य परि-द् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा और एक सदस्य परि-द् द्वारा नामनिर्देशित अधिवक्ता या ज्ये-ठ अधिवक्ता होगा । (ग) विधिज्ञ परि-द् एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी और उनमें से प्रत्येक तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी । इनमें भारतीय विधिज्ञ परि-द् की दशा में, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा और राज्य विधिज्ञ परि-द् की दशा में, एक सेवानिवृत्त

z

		जिला न्यायाधीश होगा । एक व्यक्ति परि-द् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा तथा तीसरा व्यक्ति संबंधित परि-द् द्वारा ज्ये-ठ अधिवक्ताओं या 25 व-र्ा से परि-द् की नामावली में रहे अधिवक्ताओं में से नामनिर्देशित किया जाएगा ।
9(2)	उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का 21) के प्रारंभ के पूर्व गठित कोई अनुशासन समिति अपने समक्ष लंबित कार्यवाहियों का निपटारा इसप्रकार कर सकेगी मानो यह धारा उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित ही न की गई हो ।	**हटा दी गई है ।**
9क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
10	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
10क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

10ख	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
11	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
12	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
13	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
14	विधिज्ञ परि-द् के निर्वाचन का कुछ आधारों पर प्रश्नगत न किया जाना- विधिज्ञ परि-द् के लिए किसी सदस्य का कोई निर्वाचन केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसमें मत देने के लिए हकदार किसी व्यक्ति को उसकी सम्यक् सूचना नहीं दी गई है, यदि निर्वाचन की तारीख की सूचना, कम से कम उस तारीख से तीस दिन पहले, राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हो ।	**विधिज्ञ परि-दों के निर्वाचन के बारे मे विवाद-** **(1) भारतीय विधिज्ञ परि-द् या राज्य विधिज्ञ परि-दों के निर्वाचन के बारे में कोई विवाद, जिसके अंतर्गत पदधारियों का निर्वाचन भी है, भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा निर्वाचन से पूर्व इस प्रयोजन के लिए विशे-न रूप से गठित समितियों को निर्दि-ट किया जाएगा:** **परंतु विधिज्ञ परि-द् के लिए किसी सदस्य का कोई निर्वाचन केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसमें मत देने के लिए हकदार किसी व्यक्ति को उसकी सम्यक् सूचना नहीं दी गई है, यदि निर्वाचन की तारीख की सूचना, कम से कम उस तारीख से तीस दिन पहले, राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हो ।**

z

		(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट समिति- (क) भारतीय विधिज्ञ परि-द् की दशा में, समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और इसके सदस्यों के रूप में दो राज्य विधिज्ञ परि-दों अध्यक्षों से मिलकर बनेगी, और (ख) राज्य विधिज्ञ परि-द् की दशा में, समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारतीय विधिज्ञ परि-द् के दो सदस्यो, जो संबंधित राज्य से भिन्न राज्य के हों, से मिलकर बनेगी । समिति को ऐसी शक्तियां होगी जो नियमों में विहित की जाएं और कोई अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी ।
15	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
16	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
17	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
18(1)	धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी राज्य विधिज्ञ परि-द् की नामावली में अधिवक्ता के रूप में	धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी राज्य विधिज्ञ परि-द् की नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज है, अपना नाम उस राज्य विधिज्ञ परि-द् की नामावली में अंतरित कराने के

z

	दर्ज है, अपना नाम उस राज्य विधिज्ञ परि-नद् की नामावली में अंतरित कराने के लिए, विहित रूप में, भारतीय विधिज्ञ परि-नद् को आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भारतीय विधिज्ञ परि-नद् यह निदेश देगी कि ऐसे व्यक्ति का नाम, **किसी फीस के संदाय के बिना,** प्रथम वर्णित राज्य विधिज्ञ परि-नद् की नामावली से हटा कर उस अन्य राज्य विधिज्ञ परि-नद् की नामावाली में दर्ज किया जाए और संबद्ध राज्य विधिज्ञ परि-नद् ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी ।	लिए, विहित रूप में, भारतीय विधिज्ञ परि-नद् को आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर भारतीय विधिज्ञ परि-नद् यह निदेश देगी कि ऐसे व्यक्ति का नाम **ऐसी अंतरण फीस का, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, संदाय करने पर** प्रथम वर्णित राज्य विधिज्ञ परि-नद् की नामावली से हटा कर उस अन्य राज्य विधिज्ञ परि-नद् की नामावाली में दर्ज किया जाए और संबद्ध राज्य विधिज्ञ परि-नद् ऐसे निदेश का अनुपाल करेगी ।
धारा 18(1) का परंतुक	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
18(2)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
19	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

20	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
21	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
22	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
23	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
24(1)	कोई उपबंध/खंड नहीं है ।	**(च) उसने नामांकन की बाबत भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अधीन प्रभार्य स्टांप शुल्क, यदि कोई हो, और राज्य विधिज्ञ परि-द् को देय ऐसी नामांकन फीस, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, संदत्त कर दी है ।** **(छ) उसने भारतीय विधिज्ञ परि-द् और राज्य विधिज्ञ परि-द् के नियमों के अधीन प्रभार्य वृत्तिक विकास फीस संदत्त कर दी है ।** **(ज) उसने भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा विहित अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा उर्तीण कर ली है और ऐसी अन्य शर्ते पूरी करता है जो भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा अपने नियमों के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दि-ट की जाए ।**

z

24क	नामांकन के लिए निर्हरता - (1) कोई भी व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रवि-ट नहीं किया जाएगा, यदि - (क) वह नैतिक अधमता से संबधित अपराध के लिए सिद्धदो-न ठहराया गया है ; (ख) वह अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदो-न ठहराया गया है ; (ग) वह किसी ऐसे आरोप पर जिसमें नैतिक अधमता अंतवर्लित है, राज्य के अधीन नियोजन या पद से हटाया गया है या पदच्युत किया जाता है । स्प-टीकरण- इस खंड में, ''राज्य'' पद का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।	**नामांकन के लिए निर्हरता - (1) कोई भी व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रवि-ट नहीं किया जाएगा, यदि -** **(क) वह नैतिक अधमता से संबधित अपराध के लिए सिद्धदो-न ठहराया गया है;** **(ख) यदि उसे राज्य या राज्य के किसी उपक्रम या किसी राज्य से सहायता-प्राप्त अथवा कानूनी निकाय या निगम द्वारा अवचार के आरोप पर नियोजन या पद से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है;** **(ग) यदि उसे न्यायालय अवमान के लिए सक्षम अधिकारिता के न्यायलय के किसी आदेश या विनिश्चय के अध्यधीन अन्यथा दो-नसिद्ध किया गया है ।** **स्प-टीकरण - इस खंड में, "राज्य" पद का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।**

z

	परंतु नामांकन के लिए यथापूर्वोक्त निर्हरता, उसके निर्मुक्त होने अथवा, यथास्थिति, पदच्युत किए जाने या पद से हटाए जाने से दो व-र्ा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी । (2) उपधारा (1) की कोई भी बात दो-ी पाए गए ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958(1958 का 20) के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की गई है ।	
25	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
26	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
26क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

27	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
28	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
29	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
30	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
31	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
32	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
33	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
34	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
35(1)	जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा, किसी राज्य विधिज्ञ परि-द् के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी	जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा, किसी राज्य विधिज्ञ परि-द् के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी रहा है वहां वह मामले

z

	नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक या अन्य अवचार का दो-ी रहा है वहां वह मामले को, अपनी अनुशासन समिति को निपटारे के लिए, निर्दि-ट करेगी ।	को, अपनी अनुशासन समिति को निपटारे के लिए, निर्दि-ट करेगी । **संबंधित विधिज्ञ परि-द् द्वारा इस बाबत विनिश्चय इस शिकायत की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर लिया जाएगा ।** **राज्य विधिज्ञ परि-द् को की जाने वाली शिकायत समुचित रूप-विधान में होगी और उसके साथ राज्य विधिज्ञ परि-द् के नियमों में विहित की गई फीस संलग्न करनी होगी ।**
35(1क)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
35(2)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
35(3)	(क) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ख) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ग) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(घ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

	कोई उपबंध/खंड नहीं	(ड.) ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी, जो वह अधिवक्ता के विरुद्ध साबित अवचार की गंभीरता के अनुपात में, अधिकतम तीन लाख रुपए की सीमा और कार्यवाहियों की लागत के अधीन रहते हुए, ठीक समझे; (च) संबधित अधिवक्ता के अवचार से व्यथित पक्षकार, यदि कोई हो, को संदेय ऋजु और युक्तियुक्त प्रतिकर की ऐसी रकम अधिनिर्णीत कर सकेगी, जो वह पांच लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, ठीक समझे; (छ) शिकायतकर्ता पर, यदि उसकी शिकायत तंग करने वाली या तुच्छ पायी जाती है अथवा प्रत्यर्थी-अधिवक्ता पर, यदि यह पाया जाता है कि उसने अधिनियम के अधीन की जा रही अनुशासनिक कार्यवाहियों में सहयोग नहीं किया है, दो लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, विशे-न उदाहरणात्मक लागत अधिरोपित कर सकेगी ।
35(4)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
35(5)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
35(6)	कोई उपबंध/खंड नहीं	गंभीर अवचार की शिकायतों में अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, यथास्थिति, भारतीय विधिज्ञ परि-द् और राज्य विधिज्ञ परि-द्,

z

		यदि वह ठीक और उचित समझे, तो अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से निलंबित कर सकेगी, किंतु ऐसा निलंबन संबंधित अनुशासन समिति की पूर्विक सिफारिश के बिना नहीं किया जाएगा ।
35क	कोई उपबंध/खंड नहीं	बहि-कार या कार्य से अनुपस्थिति पर प्रति-ेध - (1) अधिवक्ताओं का कोई संगम या संगम का कोई सदस्य व्यक्तिगत अथवा सामूहिक तौर पर न्यायालयों के कार्य का बहि-कार नहीं करेगा या कार्य से प्रविरत नहीं रहेगा अथवा न्यायालय परिसरों में न्यायालय के कार्य-समय के दौरान किसी रूप में भी न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और न ही व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर न्यायालय कार्य-समय के दौरान ऐसे बहि-कार या कार्य से प्रविरति के लिए आह्वान करेगा । (2) इस खंड के अतिक्रमण को अवचार समझा जाएगा और अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथा अनुध्यात अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा ।
36	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
36क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

36ख(1)	राज्य विधिज्ञ परि-नद् की अनुशासन समिति ऐसी शिकायत का जो उसे धारा 35 के अधीन प्राप्त हुई हो, शीघ्रता से निपटारा करेगी और प्रत्येक मामले में कार्यवाहियां, यथास्थिति, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से या राज्य विधिज्ञ परि-नद् की प्रेरणा पर कार्यवाही के प्रारंभ की तारीख से एक व-र्ा की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और ऐसा न किए जाने पर ऐसी कार्यवाहियां भारतीय विधिज्ञ परि-नद् को अंतरित हो जाएंगी, जो उनका इस प्रकार निपटारा कर सकेगी मानो वह धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो ।	(क) राज्य विधिज्ञ परि-नद् की अनुशासन समिति ऐसी शिकायत का जो उसे धारा 35 के अधीन प्राप्त हुई हो, शीघ्रता से निपटारा करेगी और **संबधित विधिज्ञ परि-नद् द्वारा प्रत्येक मामले में कार्यवाहियां शिकायत की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रारंभ की जाएंगी ।** **(ख) शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से प्रारंभ की गई कार्यवाही, इसके प्रारंभ की तारीख से एक व-र्ा के भीतर पूरी की जाएगी, किंतु भारतीय विधिज्ञ परि-नद् द्वारा अधिकतम एक व-र्ा का विस्तार, लिखित में कारण लेखबद्ध करने पर, किया जा सकेगा ।** **(ग) (i) यदि राज्य विधिज्ञ परि-नद् द्वारा शिकायत की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कार्यवाही प्रारंभ करने का अंतिम विनिश्चय नहीं लिया गया है ;** **अथवा** **(ii) जब अनुशासन समिति द्वारा कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं किंतु, यथास्थिति, एक व-र्ा या विस्तारित अवधि के भीतर पूरी नहीं गई हैं तो** ऐसी **शिकायत या** कार्यवाहियां भारतीय विधिज्ञ परि-नद् को अंतरित हो जाएंगी, जो उनका इस प्रकार निपटारा कर सकेगी मानो वह धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन जांच के लिए वापस ली गई कार्यवाही हो ।

z

36ख(2)	कोई उपबंध/खंड नहीं	**भारतीय विधिज्ञ परि-नद् को कार्यवाहियां अंतरित होने की दशा में, राज्य विधिज्ञ परि-नद् के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह उसे शिकायतकर्ता से शिकायत फाइल करने के समय प्राप्त रकम का तीन-चौथाई का संदाय करे ।**
37(1)	कोई उपबंध/खंड नहीं	**अपील का ज्ञापन उचित रूप-विधान में होगा और भारतीय विधिज्ञ परि-नद् के नियमों के अधीन विहित की गई फीस संलग्न की जाएगी ।**
38	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
39	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
40	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
41	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
42	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
42क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

43	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
44	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
45	न्यायालयों में तथा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति, किसी ऐसे न्यायालय में या किसी ऐसे प्राधिकरण के समक्ष, जिसमें या जिसके समक्ष वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं, विधि व्यवसाय करेगा, कारावास से, **जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी**, दंडनीय होगा ।	न्यायालयों में तथा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति, किसी ऐसे न्यायालय में या किसी ऐसे प्राधिकरण के समक्ष, जिसमें या जिसके समक्ष वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं, विधि व्यवसाय करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि **तीन वर्ष** तक की हो सकेगी **और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा,** दंडनीय होगा **और यह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित दंड के अतिरिक्त होगा ।**
46	1996 के अधिनियम सं. 70 द्वारा तारीख 26 दिसम्बर, 1993 से लोप किया गया ।	
46क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

46ख	कोई उपबंध/खंड नहीं	**सभी अधिवक्ताओं और/या उनके परिवारों को आवश्यक पड़ने पर वित्तीय सहायता -** **(1) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वकालतनामा, मुख्तारनामा, मुकदमेबाजी के लिए करारों, शपथपत्रों, परामर्श और अन्य इसी प्रकार की लिखतों पर, उनका जो भी नाम हो किंतु अधिवक्ताओं की सेवा अंतर्वलित हो, चिपकाए जाने के लिए कल्याणाकारी स्टांपों की छपाई कराएगी । ऐसी स्टांपों के विक्रय आगम को एक काय-निधि के सृजन के लिए उपयोग किया जाएगा और फिर उसे सुंसगत नियमों में विहित रीति में विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं और/या उनके परिवारों की सहायता, मदद, कल्याण और फायदे के लिए विभिन्न स्कीमें प्रारंभ करने और बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाएगा । उक्त काय-निधि का प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और इसका अनन्य रूप से उपदर्शित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा ।** **(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट निधि और स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा अधिवक्ताओं के फायदे और कल्याण के लिए बनाई गई स्कीमों के अतिरिक्त होंगी ।**
47	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

48	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
48क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
48कक	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
48ख	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
49(1)	(क) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(कख) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(कग) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(कघ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(कड.) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

	(कच) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(कछ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(कज) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ख) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ग) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(घ) भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशासन किया जाने वाला विधि शिक्षा का स्तर और उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों का निरीक्षण;	भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशासन किया जाने वाला विधि शिक्षा का स्तर और उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों **और विधि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं** का निरीक्षण;
	(ड.) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(च) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(छ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

	(छछ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ज) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(झ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	कोई उपबंध/खंड नहीं	**(झक) अधिवक्ताओं या अधिवक्ताओं के वर्ग के लिए प्रत्यक्ष रूप से या भारतीय विधिज्ञ परि-द् न्यास के माध्यम से अनिवार्य सतत विधि शिक्षा का संचालन करना और इसे मानीटर करने की व्यवस्था करना ।** **(झख) एक से अधिक राज्य में संचालित भारतीय विधि फर्मों को विनियमित करने के लिए नियम बनाना ।** **(झग) एक से अधिक राज्य में संचालित अधिवक्ताओं के विधिज्ञ संगमों, न्यासों, सोसाइटियों को रजिस्टर और विनियमित करना ।**
	(ञ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
49(2)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

49क(1)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
49क(2)	(क) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ख) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ग) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(घ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(ड.) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(च) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	(छ) कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
	कोई उपबंध/खंड नहीं	**(ज) विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमें चलाना ।**

z

49क(3)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
49क(4)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
49क(5)	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
50	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
51	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
52	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
53	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
54	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
55	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

56	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
57	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58क	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58कक	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58कख	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58कग	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58कघ	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58कड.	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

z

58कच	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58कछ	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
58ख	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
59	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।
60	कोई परिवर्तन नहीं	इस बाबत कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ ।

उपाबंध-2

भारत के विधि आयोग को प्राप्त उत्तरों का विश्ले-ण

महीपाल सिंह राणा[72] वाले मामले के तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने वकीलों को शासित करने वाली विनियामक क्रियाविधि की निराशाजनक दशा को उजागर किया और विधिक वृत्ति के लिए विनियामक क्रियाविधि और अन्य आनु-ंगिक मुद्दों से संबंधित अधिवक्ता अधिनियम के उपबंधों का सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके[73] पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता पर बल दिया ।

परिणामतः, न्यायालय ने विधि आयोग से विधिक वृत्ति के विनियमन से संबंधित सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने और इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । उपरोक्त निदेश को ध्यान में रखते हुए, भारत के 21वें विधि आयोग ने "विधिक वृत्ति के विनियमन में सुधार की आवश्यकता" पर टिका-टिप्पणियां आंमत्रित करते हुए तारीख 29 अगस्त, 2016 को एक सूचना जारी की । उस सूचना के उत्तर में, 136 उत्तर प्राप्त हुए, जिनमें से 79 न्यायाधीशों से; 10 विधिज्ञ परि-द्(परि-दों) और विधिज्ञ संगमों से;, 16 वकीलों से; 6 सरकारी वकीलों और पदधारियों से; 7 शिक्षाविदों, अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों से और 18 अन्य से हैं ।

जो टीका-टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनका प्रारंभ में ही सामान्य भाव स्वयं अधिवक्ता अधिनियम में परिभा-ित विनियामक उद्देश्यों और सिद्धांतों की कमी को बताना है । यद्यपि अधिनियम के उपबंधों में इसकी समस्त स्कीम में विधिक वृत्ति के मूलभूत विनियमन के लिए उपबंध है, तो भी यह मत व्यक्त किया गया है कि परिभा-ित उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के संवर्ग के साथ-साथ विनियामक ढांचा मस्ति-क में रखकर अधिनियम का निर्वचन करने में बेहतर साबित होगा । क्योंकि भारत में विधिक वृत्ति की विनियामक क्रियाविधि अभी भी 'स्व-विनियमन' के सिद्धांतों का पालन करती है, अधिकांश उत्तरों में अस्तित्वशील क्रियाविधि की असफलता का उल्लेख किया गया है और इसलिए तुरंत अपेक्षित सुधार की आवश्यकता

---

[72] उपरोक्त नोट 5

[73] पूर्वोक्त पृ-ठ 52 पर

z

महसूस की गई है । जहां तक विनिर्दि-ट उपबंधों के संबंध में प्राप्त हुए उत्तरों का संबंध है, बहुत-से उत्तरों में दो-नपूर्ण/असंतो-नजनक परिभा-नाओं की विद्यमानता को उजागर किया है, जैसे कि अधिवक्ता की परिभा-ना (जिसका विस्तार विधि फर्मों, भागीदारियों, निगमिति निकाय आदित तक नहीं है)। इसके अतिरिक्त, उत्तरों के सामान्य भाव में यह उजागर किया गया है कि फिलहाल वृत्तिक और अन्य अवचार की कोई परिभा-ना विद्यमान नहीं है जिसके परिणामस्वरूप धारा 35 (अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड) का मनमाना प्रयोग किया जाता है । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि परिभा-ना में परिवर्तन करने का परिणाम यह होगा कि उसके साथ के अन्य उपबंधों में भी परिवर्तन करना होगा, जैसे की अधिवक्ताओं की नामावली को (विधि फर्मों, भागीदारियों, निगमित निकायों आदि को सम्मिलित करके) बनाए रखना ।

राज्य विधिज्ञ परि-नदों की सूची तक पहुंच को सुगम बनाने तथा अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता को टालने में प्रत्येक बार किसी-न-किसी नए राज्य का अस्तित्व में आना रहा है, इसलिए एक अनुसूची के रूप में राज्य विधिज्ञ परि-नदों की सूची रखने का सुझाव दिया गया है । इसके अलावा, बहुत सारे उत्तरों में राज्य विधिज्ञ परि-नदों और भारतीय विधिज्ञ परि-नद् में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की पात्रता से संबधित और कड़ी अपेक्षाओं की आवश्यकता को उजागर किया गया है । इसके अतिरिक्त, विद्यमान 'स्व-विनियमन' क्रियाविधि को तनुकृत करके विधिज्ञ परि-नदों के गठन को इसमें वकीलों के अतिरिक्त विधिक वृत्ति के बाहर के व्यक्तियों को सम्मिलित करके परिवर्तन करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है । राज्य विधिज्ञ परि-नदों तथा भारतीय विधिज्ञ परि-नद् द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में प्राप्त हुए उत्तरों का सामान्य आशय रा-ट्रीय प्रवेश परीक्षा, सतत शिक्षा स्कीमों, शिक्षुता कार्यक्रम तथा देश में के सभी विधि विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के निरीक्षण और अनुमोदन के संबंध में सुधार की आवश्यकता को उजागर करना रहा है । कुछ उत्तरों में राज्य विधिज्ञ परि-नदों द्वारा प्राप्त निधियों की अल्पता के कारण अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमों की कमी को भी उजागर किया गया है । कुछ विनिर्दि-ट उत्तरों में बार एसोसिएशनों में हो रही तीव्र वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है और इन्हें विनियमित करने का आग्रह किया गया है ।

z

वकीलों के आचरण को विनियमित करने के लिए अनुशासन समितियों की स्थापना से संबंधित उपबंधों पर विचार करते हुए, बहुत बड़ी संख्या में उत्तरों में वकील बिरादरी के भीतर ही भ्र-ट व्यवहार होने की बात को उजागर किया गया है जिसके द्वारा अनुशासनिक कृत्य करते समय निहित हितों के मुद्दे उत्पन्न हो रहते हैं । इसलिए उत्तरों में अनुशासन समितियों के गठन का उपबंध करते हुए अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया गया है, जिनके गठन में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से व्यक्तियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, नौकरशाहों और विधिक शिक्षाविदों को सम्मिलित किया जाए ताकि अनुशासन समितियों में वकीलों के बहुमत को तनुकृत किया जा सके । अनुशासन समितियों को स्थायी निकायों के रूप में बनाने का भी आह्वान किया गया है । बहुत सारे उत्तरों में नामांकन के लिए पूर्व-अपेक्षा के रूप में एक समान अर्हित परीक्षा और उस व्यक्ति के दस्तावेजों और चरित्र के संपूर्ण सत्यापन की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, महीपाल सिंह राणा (उपरोक्त) वाले मामले के निर्णय में की गई मताभिव्यक्तियों को प्रभावी करने के लिए, उत्तरों में उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्ति के प्रति सर्वसम्मति से सहमति जताई गई है और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24-क में नामांकन-पश्च निर्हरता का उपबंध करते हुए संशोधन करने की आवश्यकता है । उत्तरों में निर्हरता की अवधि बढ़ाने (2 से 5 व-र्ा करने) का भी सुझाव दिया गया है और निर्हरता अवधि के पश्चात् पुनःनामांकन करने से पूर्व सद् चरित्र प्रमाणपत्र को सम्मिलित करके उपबंध में आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया गया है । कतिपय उत्तरों में विधि व्यवसाय करने के अधिकार के निलंबन को तब तक कानूनी मान्यता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जब तक कि अधिवक्ता अवमान के लिए मार्जन नहीं कर लेता है । बहुत सारे उत्तरों में वृत्तिक या अन्य अवचार के लिए जुर्माने और कारावास जैसी और कडी शास्तियां होने की बात कही है और इसके लिए न्यायालयों तथा अनुशासन समितियों को अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति की कानूनी मान्यता की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त, कुछ उत्तरों में अनुशासन समिति की कार्यवाहियों के निपटारे के लिए प्रदान की गई समयावधि में वृद्धि करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है

z

क्योंकि इस अवधि को विधिज्ञ परि-दों की वर्तमान क्षमता को देखते हुए पर्याप्त नहीं पाया गया है ।

वकीलों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परि-द् तथा उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति की बाबत उत्तरों मे यह सुझाव दिया गया है कि धारा 49 में यह विनिर्दि-ट उल्लेख करने की आवश्यकता है कि न्यायालय के भीतर वकीलों के आचरण को विनियमित करने की भारतीय विधिज्ञ परि-द् की अधिकारिता को अपवर्जित किया जाए जिससे कि वकीलों के आचरण को विनियमित करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्थापित करने वाले हरीश उप्पल वाले मामले के निर्णय को प्रभावी किया जा सके भले ही इसका विधि व्यवसाय करने के अधिकार पर सीमित प्रभाव है । महीपाल सिंह राणा वाले मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा दोहराई गई मताभिव्यक्ति को देखते हुए, कतिपय उत्तरों में यह सहमति व्यक्त की गई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में पायी जाने वाली उच्च न्यायालय की विद्यमान शक्तियों को मान्यता देते हुए राज्य अनुशासन समितियों के विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील को कानूनी बनाया जाना चाहिए ।

अन्य साधारण सुझावों में मुवक्किलों के हितों की संरक्षा के लिए मुवक्किल मंचों और विधिक ओम्बडस्मेन की स्थापना की आवश्यकता सम्मिलित है । अधिवक्ताओं द्वारा अत्यधिक फीस वसूलने संबंधी समस्याओं की बात भी उत्तरों में कही गई है और फीस संदाय का ढांचा बनाने तथा फीस संदाय को कैपिंग करने के लिए आग्रह किया गया है । कुछ विनिर्दि-ट उत्तरों में विधिक वृत्ति को विकसित अंतरा-ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता को उजागर करते हुए अधिवक्ताओं पर लगे विज्ञापन देने के निर्बंधन को हटाने के लिए कहा गया है ।

z

उपाबंध-3

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2017

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

अध्याय 2

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का संशोधन

2. धारा 2 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिवक्ता अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,–

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(क) 'अधिवक्ता' से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी विधि फर्म में विधि व्यवसाय करने वाला अधिवक्ता, चाहे किसी भी नाम में ज्ञात हो, और भारत के बाहर के देश में किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा भारतीय

z

विधिज्ञ परि-द् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई विदेशी वकील भी आता है ।"

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(खख) 'विधिज्ञ संगम' (बार एसोसिएशन) से राज्य विधिज्ञ परि-द् द्वारा मान्यताप्राप्त अधिवक्ताओं का संगम अभिप्रेत है और इसके अतंर्गत जिला, ताल्लुक और नगर के स्तर के संगम भी आते हैं चाहे वे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 91860 का अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या नहीं;"

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(जज) 'विधि फर्म' से विधि व्यवसाय करने के लिए अधिवक्ता या अधिवक्ताओं से मिलकर बनी भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2008 का 6) के अधीन बनाई और रजिस्ट्रीकृत की गई फर्म या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित प्राइवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भारत के बाहर किसी अन्य विधि के अधीन बनाई और रजिस्ट्रीकृत की गई विधि फर्म भी आती है;"

(iv) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्–

"(ञञ) 'विधिक सेवाएं' के अंतर्गत किसी अधिवक्ता द्वारा किसी व्यक्ति की ओर से किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य अर्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष किसी मामले या अन्य विधि कार्यवाहियों के संचालन में कोई सहायता या सेवा प्रदान करना; या किसी विधिक मामले में किसी व्यक्ति को परामर्श या सहायता देना आता है;"

"(ञञञ) 'अवचार' के अंतर्गत किसी अधिवक्ता का ऐसा कार्य या प्रतिनिद्ध कार्य या अविधिपूर्ण व्यवहार या अशोभनीय

z

और असम्मानीय आचरण, उपेक्षा या तत्परता से कार्य न करना और आपराधिक न्यास भंग या धारा 24क के अधीन निर्हरता उपगत करने वाला ऐसा कोई आचरण आता है जो अधिवक्ता द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित वृत्तिक आचरण या शि-टाचार के मानक का भंग या अननुपालन करने वाला पाया जाता है;"

(v) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"(टट) 'विधि फर्मों का रजिस्टर' से—

(i) भारत के बाहर बनाई और रजिस्ट्रीकृत की गई विधि फर्म की बाबत भारतीय विधिज्ञ परि-नद् द्वारा रखा गया; और

(ii) भारत में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की गई सभी विधि फर्म की बाबत राज्य विधिज्ञ परि-नद् द्वारा रखा गया विधि फर्म का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(टटट) 'स्कीम' से इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, भारतीय विधिज्ञ परि-नद् या राज्य विधिज्ञ परि-नद् द्वारा बनाई गई कोई स्कीम अभिप्रेत है ।"

3. धारा 3 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) उपधारा (2) में के खंड (ख) और इससे संबंधित परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(ख) पांच हजार से अनधिक के निर्वाचक-मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में, ग्यारह सदस्य, पांच हजार से अधिक किंतु पंद्रह हजार से अनधिक के निर्वाचक-मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में, पंद्रह सदस्य, और पंद्रह हजार से अधिक के निर्वाचक-मंडल वाली राज्य विधिज्ञ परि-नद् की दशा में, इक्कीस सदस्य,—

z

(i) राज्य विधिज्ञ परि-द् के निर्वाचक-मंडल में के अधिवक्ताओं में से, इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के प्रमाणपत्र और विधि व्यवसाय के स्थान के सत्यापन की प्रक्रिया अपनाने के पश्चात्, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए हों, और

(ii) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, ज्ये-ठ अधिवक्ताओं में से या उप-खंड (ii) में निर्दि-ट अधिवक्ता, विधि से भिन्न अन्य क्षेत्रों से प्रख्यात व्यक्तियों और उच्च न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित किए गए राज्य सरकार के अधिकारियों में से,

और किसी राज्य की राज्य विधिज्ञ परि-द् के कुल सदस्यों में से-

(i) आधे के निकट सदस्य, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, उन अधिवक्ताओं में से निर्वाचित किए जाएंगे जो कम से कम दस व-र्ा से विधि व्यवसाय कर रहे हों;

(ii) एक तिहाई के निकट सदस्य विधि व्यवसाय में पच्चीस व-र्ा से अन्यून अनुभव वाले ज्ये-ठ अधिवक्ताओं और ज्ये-ठ अधिवक्ताओं की अन-उपलब्धता की दशा में ऐसा अनुभव रखने वाला कोई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों में से उच्च न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(iii) शे-ा सदस्य लेखा-कर्म, वाणिज्य, आयुर्विज्ञान, प्रबंधन, लोक मामलों या सामाजिक विज्ञान के वि-ायों में पच्चीस व-र्ा से अन्यून का वृत्तिक अनुभव रखने वाले प्रतिभावान, नि-ठावान और प्रतिि-ठित व्यक्तियों की राज्य विधिज्ञ परि-द् द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची से उच्च न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

स्प-टीकरण— राज्य विधिज्ञ परि-द् का सदस्य होने के लिए कोई अधिवक्ता केवल तभी हकदार होगा, यदि वह दस व-र्ा से लगातार विधि व्यवसाय में रहा है और

z

किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य अर्ध-न्यायिक निकाय में निर्वाचन या नामनिर्देशन के व-र्ा के पूर्व तीन व-र्ाों की लगातार अवधि में एक व-र्ा में कम से कम बारह मामलों में अग्रणी काउंसेल के रूप में उपसंजात हुआ हो ।

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्–

"(4क) कोई अधिवक्ता, जो लगातार दो अवधि के लिए सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, राज्य विधिज्ञ परि-ाद् की आगामी अगली अवधि के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4ख) राज्य विधिज्ञ परि-ाद् के लिए नामनिर्देशित कोई सदस्य दो अवधि से अधिक के लिए ऐसे सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा ।"

4. धारा 4 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 में,–

(i) उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,–

"(ग) राज्यों की विधिक परि-ाद् और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक दो व-र्ा पर चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्देशित किए गए पांच सदस्य, जिनमें द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दि-ट अंचलों से क्रमवार एक-एक सदस्य होगा;

(घ) लेखा-कर्म, वाणिज्य, आयुर्विज्ञान, प्रबंधन, लोक मामलों या सामाजिक विज्ञान के वि-नयों में पच्चीस व-र्ा से अन्यून का वृत्तिक अनुभव रखने वाले प्रतिभावान, नि-ठावान और प्रतिि-ठत छह सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) और केन्द्रीय आसूचना आयोग अधिनियम, 2003(2003 का 45) की धारा की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय आसूचना आयुक्त से मिलकर बनी समिति की सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों;"

(ii) उपधारा (1क) में,–

z

(क) "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "खंड (घ) में वर्णित व्यक्तियों के सिवाय कोई व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "परंतुक" शब्दों के स्थान पर "स्प-टीकरण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(3) भारतीय विधिज्ञ परि-द् के ऐसे सदस्य की पदावधि-

(क) जो खंड (ग) के अधीन यथास्थिति, राज्य विधिज्ञ परि-द् या संघ राज्यक्षेत्र विधिज्ञ परि-द् द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो, उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो व-र्ा होगी;

(ख) जो खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित किया गया हो, उसके द्वारा पद धारण करने की तारीख से चार व-र्ा होगी:

परंतु प्रत्येक ऐसा सदस्य भारतीय विधिज्ञ परि-द् के सदस्य के रूप में अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं कर लिया जाता ।"

5. धारा 6 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) खंड (छछ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(छछ) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (i) में दिए गए निदेशों के अनुसार विधि शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में जाना और उनका निरीक्षण करना; "

(i) खंड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(घघघ) विधिज्ञ संगमों (उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संगम, विधि फर्म, विदेशी वकीलों के संगम को छोड़कर) को मान्यता

z

देना, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने की, जिसमें उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित ऐसी विधिज्ञ संगम के नियमित विधि व्यवसायियों की सूची में से उसके पदधारियों का निर्वाचन करने की व्यवस्था करना भी सम्मिलित है, और उनके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परि-द् की सम्मति से नियम, स्कीम बनाना;"

6. धारा 7 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) खंड (झ) में "विश्वविद्यालयों" शब्द, जहां-जहां यह आता है, के स्थान पर क्रमशः "विधि शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थाओं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"(ठ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों, स्त्रियों, दिव्यांग जनों, सामाजिक उपद्रव, प्राकृतिक आपदाओं के विपदग्रस्तों, सामाजिक स्वीकार्यता पर असर डालने वाली बिमारियों के विपदग्रस्तों और जरुरतमंद व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं और लोगों में विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता फैलाने की व्यवस्था करना;

(ड) खंड (ठ) में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्कीमें बनाना और सामाजिक कार्य में लगे सरकारी या गैर-सरकारी संगठन से सहायता प्राप्त करके उनके लिए धन जुटाना;

(ढ) ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विधि में उपाधि अभिप्राप्त की है, नामांकन-पूर्व एक व-र् से अनधिक की अवधि के लिए प्रशिक्षण और शिक्षुता की व्यवस्था करना;

(ण) अधिवक्ताओं के लिए सतत् विधिक शिक्षा की व्यवस्था करना;

(त) विधि फर्मों को मान्यता देने और रजिस्ट्रीकरण करने तथा उन शर्तों, जिनके अधीन रहते हुए वे विधि व्यवसाय कर

z

सकेंगी और अन्य विधिक सेवाओं पर आधारित विधिज्ञ परि-दों या विधि फर्मों और विदेशी वकीलों, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था करना;

(थ) अधिवक्ताओं के प्रमाणपत्रों के सत्यापन और उनके पूर्ववृत्तों, आचरण, व्यवसाय के स्थान के कालिक सत्यापन के लिए नियम बनाना तथा सभी अधिवक्ताओं का एक डाटा-आधारित वेब-पोर्टल बनान;

(द) विधि व्यवसाय न करने वाले अधिवक्ताओं की शनाख्त करने के लिए नियम बनाना और राज्य विधिज्ञ परि-दों, विधिज्ञ संगमों के निर्वाचनों में उनके मताधिकार को वर्जित करना तथा ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित करना, जो वह ठीक समझे;

(ध) राज्य विधिज्ञ परि-दों के सदस्यों के निर्वाचन पर पर्यवेक्षण करने के लिए, ऐसे निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निदेश जारी करने के लिए और उनसे संबधित सभी निर्वाचन विवादों के निपटारे के लिए व्यवस्था करना;

(न) हड़तालों, बहि-कारों या अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों से प्रविरति पर कार्यवाही करने के लिए नियम बनाना, इस बाबत उपयुक्त उपायों तथा दंड की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत छह व-र् की अवधि के लिए विधिज्ञ परि-दों का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए निर्रहरित करने का दंड भी है;

(प) देश में विधि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था करना और विधि शिक्षा में सुधार के लिए व्यवस्था करना तथा देश के सभी विधि के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से या किसी पूर्त संस्था के माध्यम से आन-लाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(फ) अधिवक्ताओं के लिए सतत् विधि शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक परि-दों, या किसी अन्य संगठन, संस्थाओं या अभिकरणों के माध्यम से वकीलों की अकादमियों और अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं के लिए व्यवस्था करना;

z

(ब) विधि फर्मों, विदेशी वकीलों को मान्यता देने, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने के लिए व्यवस्था करना;"

(iii) खंड (ठ) और (ड) क्रमशः खंड (भ) और (म) के रूप में पुनः संख्यांकित किए जाएंगे ।

7. धारा 8 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 8 में "पांच व-र्" शब्दों के स्थान पर "छह व-र्" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

8. धारा 9 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"9. **अनुशासन समितियां**– विधिज्ञ परि-द् एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी और प्रत्येक ऐसी समिति पांच व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिनमें से-

(i) दो व्यक्ति परि-द् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति होंगे;

(ii) दो व्यक्ति परि-द् द्वारा सहयोजित विधि से भिन्न क्षेत्रों के प्रतिि-ठित व्यक्तियों में से होंगे; और

(iii) पांचवा सदस्य उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रीति में नामनिर्देशित व्यक्ति होगा, अर्थात्–

(क) भारतीय विधि परि-द् की दशा में, ऐसी अनुशासन समिति का पांचवा सदस्य इसके नामनिर्देशित सदस्य के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो;

(ख) राज्य विधिज्ञ परि-द् की दशा में, ऐसी अनुशासन समिति का पांचवा सदस्य इसके नामनिर्देशित सदस्य के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा, जो जिला न्यायाधीश रहा हो;

परंतु सहयोजित सदस्य परि-द् का सदस्य नहीं होगा और भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा गठित अनुशासन समिति की दशा में, न्यायाधीश समिति का अध्यक्ष होगा, और

z

राज्य विधिज्ञ परि-द् की अनुशासन समिति के सदस्य अपनी प्रथम बैठक में यह विनिश्चय करेंगे कि समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन अध्यक्षता करेगा ।

9. धारा 9क के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"9क. **विधिक सहायता समितियों का गठन**– (1) विधिज्ञ परि-द् एक या अधिक विधिक सहायता समितियों का गठन कर सकेगी और प्रत्येक ऐसी समिति सात सदस्यों से मिलकर बनेगी । इसमें से चार सदस्य परि-द् द्वारा अपने सदस्यों में निर्वाचित व्यक्ति होंगे और तीन सदस्य, जो परि-द् के सदस्य न हों, निम्नलिखित प्रवगों से सहयोजित किए गए व्यक्ति होंगे, अर्थात्–

(i) उच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश;

(ii) ऐसे अधिवक्ता, जो धारा 3 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक में विनिर्दि-ट अर्हताएं रखते हों;

और समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा ।

(2) विधिक सहायता समिति के सदस्यों की पदावधि पांच व-र्ा होगी ।"

10. धारा 9ख का अंतःस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"9ख. भारतीय विधिज्ञ परि-द् की विशे-ा लोक शिकायत निवारण समिति–

(1) भारतीय विधिज्ञ परि-द् एक विशे-ा लोक शिकायत निवारण समिति का गठन कर सकेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्–

z

(i) इसके अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश;

(ii) इसके सदस्यों के रूप में विभिन्न उच्च न्यायालयों के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(iii) एक ज्ये-ठ अधिवक्ता;

(iv) भारतीय विधिज्ञ परि-द् का एक सदस्य;

(2) विशे-न लोक शिकायत निवारण समिति भारतीय विधिज्ञ परि-द् के किसी पदधारी या सदस्य के विरुद्ध, परि-द् के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसके विरुद्ध किए गए अभिकथनों या भ्र-ट आचरण या अवचार की शिकायत, जो परि-द् द्वारा उसे भेजी जाए, की जांच करेगी ।

(3) समिति की जांच रिपोर्ट परि-द् की आमसभा की बैठक के समक्ष रखी जाएगी और परि-द् रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्-

(i) रिपोर्ट के नि-क-र्षों को स्वीकार कर सकेगी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करा सकेगी; या

(ii) रिपोर्ट स्वीकार कर सकेगी और यथास्थिति, पदधारी या सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए भेज सकेगी; या

(iii) लिखित में लेखबद्ध किए गए कारणों से रिपोर्ट को स्वीकार नही कर सकेगी ।"

11. धारा 10 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में खंड (ख) के पश्चात् निम्निखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

"(ग) एक विधिज्ञ संगम कार्यकलाप समिति, जो पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से तीन सदस्य परि-द् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति होंगे और दो व्यक्ति जो परि-द् के सदस्य न

z

हों, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति परि-नद् द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गों से सहयोजित किए गए व्यक्ति होंगे, अर्थात्–

(i) उच्च न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश;

(ii) अधिवक्ता, जो धारा 3 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दि-ट अर्हताएं रखता हो;

और उच्च न्यायालय का ऐसा मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जिसे समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाए, समिति का अध्यक्ष होगा ।

12. धारा 10क का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"(4क). नामनिर्देशित सदस्य को विधिज्ञ परि-नद् की सभी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और परि-नद् के किसी मामले में भी, किसी पदधारी को हटाने के मुद्दे के सिवाय, मत देने का अधिकार होगा ।"

13. धारा 14 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"14. **विधिज्ञ परि-नद् के निर्वाचन के बारे में विवाद**–

(1) भारतीय विधिज्ञ परि-नद् या राज्य विधिज्ञ परि-नद् के निर्वाचन के बारे में कोई विवाद, जिसके अंतर्गत उसके पदधारियों का निर्वाचन भी है, भारतीय विधिज्ञ परि-नद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचन होने से पूर्व गठित की गई समिति को निर्दि-ट किए जाएंगे:

परंतु विधिज्ञ परि-नद् के लिए किसी सदस्य का कोई भी निर्वाचन केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसमें मत देने के लिए हकदार किसी व्यक्ति को उसकी सम्यक् सूचना नही दी गई है, यदि निर्वाचन की तारीख की सूचना कम

z

से कम उस तारीख से तीस दिन पहले राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हो ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट समिति– (क) भारतीय विधिज्ञ परि-द् की दशा में, समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और इसके सदस्यों के रूप में दो राज्य विधिज्ञ परि-दों के अध्यक्षों से मिलकर बनेगी; और (ख) राज्य विधिज्ञ परि-दों की दशा में, समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारतीय विधिज्ञ परि-द् के दो सदस्यों, जिनमें से एक सदस्य अन्य राज्य का होगा, से मिलकर बनेगी ।

(3) समिति को कोई अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां और ऐसी अन्य शक्ति होगी, जो विहित की जाए ।"

14. धारा 15 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(ञक) वह प्ररूप, जिसमें राज्य विधिज्ञ परि-द् को शिकायत की जाएगी और उसके साथ संदेय फीस;"

15. धारा 19 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"19. **अधिवक्ताओं की नामावलियों की प्रतियों का राजय विधिज्ञ परि-दों द्वारा भारतीय विधिज्ञ परि-द् को भेजा जाना**– प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परि-द् इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पहली बार बनाई गई अधिवक्ताओं की नामावली की एक प्रति भारतीय विधिज्ञ परि-द् को भेजेगी और उसके पश्चात् ऐसी नामावली में किए गए सभी परिवर्तन और परिवर्धन, उनके किए जाने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक रूप में सात दिन से अनधिक की अवधि के भीतर भारतीय विधिज्ञ परि-द् को संसूचित करेगी ।

z

16. धारा 22 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(3) राज्य विधिज्ञ परि-द् अपनी नामावली में दर्ज सभी अधिवक्ताओं का इलैक्ट्रानिक डाटा-बेस ऐसी जानकारी अंतर्वि-ट करते हुए, जो विहित की जाए, रखेगी और जब भी इसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसका अद्यतन करेगी और ऐसा डाटा राज्य विधिज्ञ परि-द् की वेब-साइट पर उपलब्ध कराया जाएगा ।"

17. धारा 24 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 (1) की उपधारा (1) में,-

(क) खंड (च) में,-

(I) (i) "छह सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "एक सौ पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए" प्रतिस्थापित किए जांएगे ;

(II) (i) "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "पच्चीस रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक सौ रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"(छ) उसने राज्य विधिज्ञ परि-द् को तीन सौ रुपए और भारतीय विधिज्ञ परि-द् को दौ सौ रुपए की वृत्तिक विकास फीस दे दी है :

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तो उसके द्वारा राज्य विधिज्ञ परि-द् को संदेय वृत्तिक विकास फीस दौ सौ रुपए और भारतीय विधिज्ञ परि-द् को संदेय एक सौ रुपए होगी ;

z

(ज) उसने भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा विहित अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा उतीर्ण कर ली है और ऐसी अन्य शर्तें पूर्ण करता है जो भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दि-ट की जाएं ।"

18. धारा 24क के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"**24क. नामांकन के लिए निरर्हता**– (1) कोई भी व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रवि-ट नहीं किया जाएगा, यदि–

(क) वह नैतिक अधमता से संबंधित अपराध से सिद्धदो-ा ठहराया गया है ;

(ख) वह अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का 22) या अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989(1989 का 33) के उपबंधों के अधीन अपराध के लिए सिद्धदो-ा ठहराया गया है ; या

(ग) वह न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय के अध्यधीन न्यायालय अवमान के लिए सिद्धदो-ा ठहराया गया है ;

(घ) वह संघ अथवा राज्य या इसके उपक्रम या किसी कानूनी निकाय या निगम की सेवा से पदच्यूत किया गया है या हटाया गया है ।"

19. धारा 26क के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 26क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"**26क. नामावली से नाम हटाने की शक्ति**– राज्य विधिज्ञ परि-द् ऐसे किसी भी अधिवक्ता का नाम सूचना की प्राप्ति पर या उसके अनुरोध पर राज्य नामावली से हटा सकेगी,–

(क) जिसकी मृत्यु हो गई है ; या

z

(ख) जिससे नाम हटाने के आशय का अनुरोध प्राप्त हो गया है ; या

(ग) जिसे गंभीर अवचार या न्यायालय के कार्य से प्रविरत रहने या न्यायालय के कृत्यों में बाधा पहुंचाने का दो-षी पाया जाता है ; या

(घ) जिसने धारा 24क के अधीन कोई निरर्हता उपगत की है ।"

20. धारा 33 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

"परंतु भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा मान्यताप्राप्त और रजिस्ट्रीकृत विधि फर्में और विदेशी वकील इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होंगे ।"

21. नयी धारा 33क का अंतःस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"**33क. अधिवक्ता का विधिज्ञ संगम के पास रजिस्ट्रीकरण–**

(1) राज्य विधिज्ञ परि-द् के पास नामांकित अधिवक्ता जो किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय में लगा है या उसका विधि व्यवसाय करने का आशय है, तो स्वयं को उस विधिज्ञ संगम के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराएगा जहां वह मामूली तौर पर विधि व्यवसाय करता है या करने का आशय रखता है ।

(2) यदि कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय के स्थान के परिवर्तन या विधि के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक विधिज्ञ संगम को छोड़कर किसी अन्य विधिज्ञ संगम को ग्रहण करता है, तो वह उस विधिज्ञ संगम को जिसका वह सदस्य है, तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा ।"

22. धारा 35 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 में,–

(i) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

z

"(1कख) कोई मामला उपधारा (1) के अधीन अनुशासन समिति को निर्दि-ट करने का विनिश्चय संबधित विधिज्ञ परि-द् द्वारा शिकायत की प्राप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर लिया जाएगा ।

(1कग) राज्य विधिज्ञ परि-द् को शिकायत ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस संलग करके की जाएगी, जो राज्य विधिज्ञ परि-द् द्वारा विहित की जाए ।"

(ii) उपधारा (3) में निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(ड.)जुर्माना, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा और कार्यवाहियों की लागत अधिरोपित कर सकेगी ;

(च) अधिवक्ता के अवचार से व्यथित व्यक्ति को दी जाने वाली प्रतिकर की ऐसी रकम, जो वह ठीक समझे, अधिकतम पांच लाख रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिनिर्णीत कर सकेगी ;

(छ) अधिकतम दो लाख रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए लागत अधिरोपित कर सकेगी–

(i) शिकायतकर्ता पर, यदि शिकायत तंग करने वाली, मिथ्या या तुच्छ पायी जाती है ;

(ii) संबंधित अधिवक्ता पर, यदि यह पाया जाता है कि वह अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में सहयोग नहीं कर रहा है ।"

(iii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"(6) गंभीर अवचार की शिकायतों में अनुशासिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान राज्य विधिज्ञ परि-द्, यदि ठीक समझे, संबंधित अधिवक्ता को ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान विधि-व्यवसाय से निलंबित कर सकेगी, परंतु ऐसा कोई निलंबन एक समिति जो राज्य विधिज्ञ परि-द् द्वारा गठित की जाए, की सिफारिश के बिना नहीं किया जाएगा और यह

z

समित (क) उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जो समिति का अध्यक्ष होगा ; और (ख) दो ज्ये-ठ अधिवक्तों से मिलकर बनेगी ।

(iv) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परंतु यदि अधिवक्ता को धारा 24क के अधीन दो-ािसद्ध ठहराया जाता है, तो तब तक यह समझा जाएगा कि वह वृत्तिक अवचार का दो-ी है जब तक कि सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दो-ािसद्धि के प्रवर्तन को रोक नहीं दिया जाता है ।"

23. नयी धारा 35क का अंतःस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"35क. **न्यायालयों के कार्य के बहि-कार और प्रविरति पर प्रति-ेध–** अधिवक्ताओं का कोई संगम या संगम का कोई सदस्य या कोई अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से या सामुहिक रूप से न्यायालय के कार्य का बहि-कार करने या उससे प्रविरत रहने का आह्वान नही करेगा या न्यायालय के कार्य का बहि-कार या उससे प्रविरत नहीं रहेगा या न्यायालय के कार्य में या न्यायालय परिसर में किसी रूप में बाधा नही डालेगा ।"

24. धारा 36ख का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36ख की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"(1)(क) राज्य विधिज्ञ परि-ाद् की अनुशासन समिति ऐसी शिकायत का, जो उसे धारा 35 के अधीन प्राप्त हुई हो, शीघ्रता से निपटारा करेगी और प्रत्येक मामले में कार्यवहियां, संबधित विधिज्ञ परि-ाद् द्वारा शिकायत प्राप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी ।

(ख) राज्य विधिज्ञ परि-ाद् द्वारा, शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से, प्रारंभ की गई कार्यवाहियां ऐसे प्रारंभ होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी किंतु भारतीय विधिज्ञ

z

परि-द् द्वारा कारण लेखबद्ध किए जाने पर अधिकतम छह माह की अवधि का विस्तार दिया जा सकेगा ।

(ग) यदि,–

(i) शिकायत की प्राप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर कार्यवाही प्रारंभ करने का विनिश्चय नहीं किए जाने, या

(ii) कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हों किंतु, यथास्थिति, छह माह की अवधि या विस्तार अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई हों,

तब ऐसी शिकायत या कार्यवाही भारतीय विधिज्ञ परि-द् को अंतरित हो जाएगी, जो इसका इस प्रकार निपटारा कर सकेगी मानो यह ऐसी कार्यवाही है जो धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन जांच के लिए व्यपहृत की गई हो ।"

25. धारा 45 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 45 में "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्-ा तक की हो सकेगी और जुर्माना से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

26. नयी धारा 45क का अंतःस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 45 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

45क. कतिपय मामलों में प्रतिकर का दावा-

(1) यदि किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के अवचार के कारण या उसके हड़ताल में भाग लेने या अन्यथा के कारण हानि होती है, तब ऐसा व्यक्ति उस अधिवक्ता के विरुद्ध तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित समुचित न्यायालय में प्रतिकर के लिए दावा कर सकेगा ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिवक्ता को फीस का असंदाय, चाहे सारी या भागतः, उस अधिवक्ता के लिए उपलब्ध प्रतिरक्षा नहीं होगी जिसके विरुद्ध प्रतिकर का दावा किया जाता है ।

z

27. धारा 49 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) में,–

(i) "राज्य विधिज्ञ परि-द्" शब्दों, जहां भी वे आते हैं, के पश्चात् "और उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संगम" शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे;

(ii) खंड (कच) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(कच) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में, विधि की उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए आयु सहित अपेक्षित अर्हताएं;

(iii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(घ) भारत में विधि शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा अनुपालन किया जाने वाला विधि शिक्षा का स्तर ; और उस प्रयोजन के लिए निरीक्षण की रीति और विधि शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के बजट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित फीस और पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए निबंधन और शर्तें;

(iv) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्–

"(झक) वह रीति जिसमें राज्य विधिज्ञ परि-द् उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संगम, विधि फर्मों के संगम और विदेशी वकीलों को छोड़कर, अपनी क्षेत्रीय अधिकारित के भीतर स्थित विधिज्ञ संगमों का पर्यवेक्षण कर सकेगी और उन पर नियंत्रण रख सकेगी और वह रीति जिससे भारतीय विधिज्ञ परि-द् द्वारा जारी किए गए निदेशों या पारित किए गए आदेशों को प्रवर्तित किया जा सकेगा;

(झख) अधिवक्ताओं के लिए सतत विधिक शिक्षा की व्यवस्था करना;

z

(झग) विधि फर्म, जिनमें ऐसी फर्म भी हैं जो एक से अधिक राज्य में संचालित हैं, को रजिस्टर और विनियमित करने के लिए नियम बनाना;

(झघ) विधिज्ञ संगमों को रजिस्टर और विनियमित करना;

(झड.) विधिक सेवाएं देना और विधिक जानकारी फैलाना;

(झच) उच्चतम न्यायालय विधिज्ञ संगम का विधिज्ञ संगम के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके विनियमन करने और विधि फर्म और विदेशी वकीलों के संगमों के विनियमन के लिए;

(झछ) विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमें बनाना और संचालन करना ।"

28. धारा 50 का संशोधन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (5) के खंड (ख) में "अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अनुसूची" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

29. द्वितीय अनुसूची का अंतःस्थापन । अधिवक्ता अधिनियम की धारा 60 के पश्चात् "अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अनुसूची" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और प्रथम अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"द्वितीय अनुसूची

[धारा 4(1) I देंखे]

अंचल 1

1. आंध्र प्रदेश
2. गोआ
3. कर्नाटक
4. केरल
5. महारा-ट्र
6. उड़ीसा

z

7. तमिलनाडु
8. तेलंगाना

अंचल 2

1. हरियाणा
2. हिमाचल प्रदेश
3. जम्मू और कश्मीर
4. पंजाब
5. उत्तराखंड
6. उत्तर प्रदेश

अंचल 3

1. बिहार
2. छत्तीसगढ़
3. गुजरात
4. झारखंड
5. मध्य प्रदेश
6. राजस्थान
7. पश्चिम बंगाल

अंचल 4

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम
3. मणीपुर
4. मेघालय
5. मिजोरम
6. नागालैंड

z

7. सिक्किम

8. त्रिपुरा

अंचल 5

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

2. चंडीगढ़

3. दादर और नगर हवेली

4. दमन और द्विव

5. दिल्ली

6. लक्षद्वीप

7. पुडुचेरी ।"